



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 23 अगस्त 2025 ई० (भाद्रपद 01, 1947 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	457—464	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	887—904	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	1—6	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1263-1290	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गृह (पुलिस सेवायें) विभाग**अनुभाग-1**

25 अक्टूबर, 2024 ई0

सं0 2497/छ:पु0से0-1-2024—चयन वर्ष 2023-2024 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) में प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं प्रतिसार निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे में अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 को सम्पन्न बैठक में सम्यक विचारोपरान्त की गयी संस्तुति पत्र संख्या-35(5)/16/पी/एस-1/2024-25 दिनांक 17 अक्टूबर, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

2— चयन वर्ष 2023-2024 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुक्रम में पुलिस सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एवं प्रतिसार निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उपाधीक्षक, साधारण वेतनमान (वेतनमान रु0 15,600—39,100 ग्रेड-पे रु0 5,400/- पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100—1,77,500) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

पुलिस निरीक्षक (नागरिक पुलिस)

क्र0 सं0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	नाम
1	2	3
सर्वश्री/श्रीमती—		
1	3	बृजेश कुमार वर्मा (पूर्व से आरक्षित पद के सापेक्ष)
2	8	संजय कुमार सिंह
3	9	सतीश कुमार रावत
4	15	सुरजन सिंह
5	16	द्रविण कुमार सिंह
6	19	धर्मेश कुमार
7	23	धीरेन्द्र प्रताप सिंह
8	39	राम रत्न सिंह
9	40	जयशंकर मिश्र
10	43	दुष्यन्त कुमार सिंह (पूर्व से आरक्षित पद के सापेक्ष)
11	44	देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
12	46	अजीत सिंह
13	47	संजीव कुमार तोमर
14	48	रमेश नारायण त्रिपाठी
15	51	पोसीराम

1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती—
16	52	मुकेश कुमार गौतम
17	53	उमेश पंवार
18	54	पंकज कुमार त्यागी
19	55	अजीत रोरिया
20	56	अशोक सोलंकी
21	57	अशोक कुमार
22	58	दिनेश सिंह
23	59	राज बहादुर सिंह
24	60	अन्जनी कुमार तिवारी
25	63	वेद प्रकाश श्रीवास्तव
26	65	देवेन्द्र नाथ मिश्र
27	66	संजय कुमार
28	67	अरुण कुमार राय
29	68	पंकज वर्मा
30	69	महेश पाण्डेय
31	70	ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
32	71	राम बाबू शुक्ल
33	72	नरेश कुमार
34	73	अजय कुमार सिंह
35	74	पहुँप सिंह
36	75	यादवेन्द्र कुमार राय
37	76	अवनीश दीक्षित
38	77	सुनील कुमार
39	78	राम दवन
40	79	मधुप नाथ मिश्रा
41	81	विनोद कुमार
42	82	कृष्ण कुमार मिश्रा
43	83	राजेश कुमार द्विवेदी
44	84	राज कुमार पाण्डेय
45	85	सुनील कुमार मिश्रा
46	86	अजीत कुमार सिंह

1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती—
47	88	संजय कुमार राय
48	90	मनोज कुमार मिश्रा
49	92	संजीव कुमार विश्नोई
50	93	रणधीर कुमार मिश्रा
51	94	सर्वदवन सिंह
52	96	विजय कुमार सिंह
53	97	आजाद सिंह केशरी
54	98	बृजेश कुमार सिंह
55	99	अनिल चन्द्र तिवारी
56	101	संजय वर्मा
57	103	मनोज कुमार पाण्डेय
58	106	धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
59	108	रामगोपाल शर्मा
60	109	समीर कुमार सिंह
61	110	अजय कुमार त्रिपाठी
62	111	लक्ष्मी कान्त मिश्रा
63	113	अरविन्द कुमार
64	114	सुधीर पाल धामा (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
65	115	हरि नारायण मिश्र (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
66	116	सुनील कुमार वर्मा (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
67	117	भगवान दास (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
68	119	मनोज कुमार सिंह (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
69	120	सत्य नारायण मिश्रा (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
70	121	वेद प्रकाश राय (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)
71	123	अरुण कुमार पाठक (परिणामी रिक्ति के सापेक्ष)

प्रतिसार निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर

क्रम सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कार्मिक का नाम
1	2	3
सर्वश्री/श्रीमती—		
1	4	वीरेन्द्र कुमार
2	5	राकेश प्रताप सिंह
3	6	अरुण कुमार त्रिपाठी
4	7	जनेश्वर प्रसाद पाण्डेय
5	8	सोमवीर सिंह सिरोही
6	9	आशुतोष कुमार सिंह
7	10	अनीस कुमार मिश्रा
8	11	ज्ञानेन्द्र सिंह
9	12	अतुल कुमार सिंह

3— प्रश्नगत चयन से सम्बन्धित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन हो, तो उक्त चयन सम्बन्धित याचिका/विचाराधीन प्रकरण में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4— निर्गत किये जाने वाली प्रोन्नति आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही आदि प्रचलित नहीं है, के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ०प्र० लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिक के विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

5— अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त प्रोन्नत कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गया है तो उसकी प्रोन्नति/तैनाती आदेश निर्गत नहीं किये जायेंगे।

6— पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा।

7— उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

अनुभाग-2

पदोन्नति

12 दिसम्बर, 2024 ई0

सं० 1717/छ:पु०से०-2-2024—श्री अतुल शर्मा, आईपीएस-आरआर-2009 के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही कार्यालय-ज्ञाप संख्या-405जीआई/छ:पु०से०-2-2024, दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप श्री अतुल शर्मा, आईपीएस को दिनांक 01 जनवरी, 2022 से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स

लेवल-13 रु0 1,23,100—2,15,900/-) अनुमन्य किये जाने तथा दिनांक 01 जनवरी, 2023 से पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100—2,16,600/-) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है।

आज्ञा से,
डॉ0 संजीव गुप्ता,
सचिव।

08 जनवरी, 2025 ई0

सं0 33/छ:पु0से0-2-2025—डॉ0 अजय पाल, आईपीएस-आरआर-2011 के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-8 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही कार्यालय-ज्ञाप संख्या-05/छ:पु0से0-2-2025, दिनांक 01 जनवरी, 2025 द्वारा समाप्त की गई है।

2— उक्त विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के फलस्वरूप डॉ0 अजय पाल, आईपीएस-आरआर-2011 को उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री राजेश एस0, आईपीएस-आरआर-2011 के सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि से क्रमशः दिनांक 01 जनवरी, 2024 से सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100—2,15,900) अनुमन्य किये जाने तथा दिनांक 01 जनवरी, 2025 से पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100—2,16,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,
राजेश कुमार
सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

18 मार्च, 2025 ई0

सं0 300डीजी/छ:-पु0से0-2-2025—श्री आशीष गुप्ता, आईपीएस-आरआर-1989, पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 07 मार्च, 2025 द्वारा अखिल भारतीय सेवा (डेथ कम रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) नियमावली-1958 के नियम-16(2) के अन्तर्गत अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व दिनांक 10 जून, 2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2— श्री आशीष गुप्ता, आईपीएस-आरआर-1989 की दिनांक 20 अगस्त, 1990 को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति हुई थी। उनकी जन्मतिथि 25 दिसम्बर, 1966 है। इस प्रकार श्री आशीष गुप्ता द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर, 2016 को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है।

3— श्री आशीष गुप्ता के प्रार्थना-पत्र में किये गये अनुरोध एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त अखिल भारतीय सेवा (डेथ कम रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) नियमावली-1958 के नियम-16(2) के अन्तर्गत श्री आशीष गुप्ता, आईपीएस-आरआर-1989, पुलिस महानिदेशक, नियम एवं ग्रन्थ, उ0प्र0 लखनऊ को उनकी सेवा पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 10 जून, 2025 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-1

19 मार्च, 2025 ई०

सं० 906596/6-1001/17/2023—पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत वर्तमान में आपराधिक मामलों के जांचों के कार्य हेतु (1) Crime Branch (2) Finger Print Bureau एवं (3) Criminal Tribes Branch सी०बी०सी०आई०डी० से अलग हो जाने एवं गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 02 नवम्बर, 2023 द्वारा विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) को अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी०बी०सी०आई०डी०) में संविलीन किये जाने के फलस्वरूप प्रशासनिक एवं कार्यकारी दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण पाते हुए अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी०बी०सी०आई०डी०) CRIME BRANCH, CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT का नाम परिवर्तित कर अपराध अनुसंधान विभाग (सी०आई०डी०) (CRIME INVESTIGATION DEPARTMENT) (C.I.D.) किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2— यह शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

कार्यालय ज्ञाप/स्थायीकरण

27 मार्च, 2025 ई०

सं० 464/छ:पु०से०-1-2025—अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-डीजी-2-ब-61-88 (स्थायीकरण) दिनांक 17 फरवरी, 2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त सूची के क्रमांक-6 एवं 10 पर अंकित पुलिस उपाधीक्षकों को परिवीक्षावधि में किये गये कृत्य के लिए दण्डित होने के कारण 01 वर्ष की परिवीक्षावधि बढ़ाते हुए स्थायीकरण का अंकन करते हुए उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अधोलिखित पुलिस उपाधीक्षकों (परिवीक्षाधीन) जिनके द्वारा 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली गयी है, को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में उल्लिखित तिथि से उ०प्र० प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर श्री राज्यपाल महोदया एतद्वारा स्थायी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

क्र० सं०	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
सर्वश्री—			
1	सुशील कुमार यादव	05/04/2018	05/04/2020
2	डा० प्रदीप कुमार सिंह	05/04/2018	05/04/2020
3	अमित सक्सेना	10/03/2018	10/03/2020
4	डा० अतुल अंजान त्रिपाठी	22/05/2018	22/05/2020
5	अभय कुमार पाण्डेय	20/05/2018	20/05/2020
6	दरवेश कुमार	09/09/2019	09/09/2022

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
7	आशीष शर्मा	12/09/2019	12/09/2021
8	विवेक यादव	09/09/2019	09/09/2021
9	परमानन्द कुशवाहा	20/10/2020	20/10/2022
10	भरत पासवान	05/07/2021	05/07/2024

आज्ञा से,
राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 01, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, हमीरपुर की आज्ञायें

12 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 266/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम राठ पूरब परगना राठ तहसील राठ जनपद हमीरपुर की गाटा-संख्या 144 रकबा 0.049 हे० श्रेणी बंजर, मालियत रु० 73,500/- (तिहत्तर हजार पांच सौ रुपये) को विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है-

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	राठ	राठ	राठ पूरब	144	0.049 हेक्टेयर	बंजर	विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर के पक्ष में।

19 दिसम्बर, 2023 ई०

सं० 305/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्गृहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम नरायच तहसील मौदहा जनपद हमीरपुर की गाटा-सं०-448मि० रकबा 0.323 हे० में से 0.0232 हे० की मालियत रु० 28,000/- (अट्ठाईस हजार रुपये) है, को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुमेरपुर के पक्ष में पुनर्गृहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 09 मई, 2022 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्गृहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्गृहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्गृहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	मौदहा	मौदहा	नरायच	448मि०	0.323 में से 0.0232 हेक्टेयर	नवीन परती	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, नरायच के पक्ष में।

सं0 306/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम सुमेरपुर तहसील हमीरपुर जनपद हमीरपुर की गाटा-सं0-3464/2 रकबा 0.212 हे0 में से 0.028 हे0 की मालियत रु0 25,20,000/- (पच्चीस लाख बीस हजार रुपये) है, को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुमेरपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 09 मई, 2022 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	सुमेरपुर	3464/2	0.212 में से 0.028 हेक्टेयर	बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, सुमेरपुर के पक्ष में।

सं0 307/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम बिदोखर मेंदनी तहसील हमीरपुर जनपद हमीरपुर की गाटा सं0-826 रकबा 0.170 हे0 में से 0.0278 हे0 की मालियत रु0 27,800/- (सत्ताइस हजार आठ सौ रुपये) है, को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिदोखर मेंदनी के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 09 मई, 2022 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व

अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्गृहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	बिदोखर मेंदनी	826	0.170 में से 0.0278 हेक्टेयर	बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिदोखर मेंदनी के पक्ष में।

सं० 308/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)—शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम पचखुरा तहसील हमीरपुर जनपद हमीरपुर की गाटा-सं०-965 रकबा 0.101 हे० में से 0.0279 हे० की मालियत रु० 27,900/— (सत्ताइस हजार नौ सौ रुपये) है, को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पचखुरा के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 09 मई, 2022 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्गृहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	पचखुरा	965	0.101 में से 0.0279 हेक्टेयर	बंजर	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, पचखुरा के पक्ष में।

18 जून, 2024 ई0

सं0 948/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम नारायनपुर परगना सुमेरपुर तहसील व जनपद हमीरपुर की गाटा सं0-275 रकबा 4.010 हे0 में से 0.405 हे0 की मालियत रु0 8,91,000/- (आठ लाख इक्यान्बे हजार रुपये मात्र) है, को डिस्पेन्सरी कम ब्रांच आफिस (डी0सी0बी0ओ0) की स्थापना हेतु श्रम विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी हमीरपुर की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 13 मार्च, 2024 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्गृहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है-

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	हमीरपुर	सुमेरपुर	नारायनपुर	275	4.010 में से 0.405 हेक्टेयर	नवीन परती	डिस्पेन्सरी कम ब्रांच आफिस (डी0सी0बी0ओ0) की स्थापना हेतु श्रम विभाग के पक्ष में।

24 जून, 2024 ई०

सं० 971/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण(33/11 विद्युत उप०)2023-24-शासनादेश संख्या-258/राजस्व - 1/16(1)-73/1974 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 740/एक-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून 2016 के अनुसार सूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित है, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	मौदहा	मुस्करा	गुन्देला	430/5	1.789 में से 0.360 हेक्टेयर	बंजर	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु विद्युत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिये 1.00 रु० प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य पर पट्टे पर दी जाती है।

06 जुलाई, 2024 ई०

सं० 1021/डी०एल०आर०सी०-12ए-निरस्तीकरण(2021-22)-जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर के पत्र-संख्या 1940-41/2022-23 दिनांक 22 जुलाई 2022 के क्रम में उपजिलाधिकारी राठ द्वारा अपने पत्र-संख्या 619/रा०नि० (कार्या) -भूमि स्था० (2022-23) दिनांक 05 अगस्त, 2022 द्वारा आदर्श कम्पोजिट विद्यालय मझगवां हेतु तहसील राठ के ग्राम मझगवां के गाटा संख्या 157/3 रकबा 2.468 हे० में से 1.468 हे० श्रेणी बंजर का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। प्रश्नगत प्रस्ताव को कार्यालय आदेश संख्या 1630/डी०एल०आर०सी०-12ए -पुनर्ग्रहण(आदर्श कम्पोजिट विद्यालय) 2022-23 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 के माध्यम से पुनर्ग्रहण किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमीरपुर ने अपने पत्र संख्या एस०एस०ए०/नि०का०/4772-74/2024-25 दिनांक 05 जुलाई, 2024 कि मौजा मझगवां तहसील राठ जिला हमीरपुर के नाम ग्राम सभा की बंजर भूमि नम्बर 157/3 रकबा 2.468 हे० में से 1.468 हे० ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार आदर्श कम्पोजिट विद्यालय मझगवां के पक्ष में दर्ज किया गया। प्रश्नगत गाटा संख्या में आदर्श कम्पोजिट विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया है। वर्तमान में आदर्श कम्पोजिट विद्यालय मझगवां प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि की आदर्श कम्पोजिट विद्यालय मझगवां के लिए आवश्यकता नहीं है। विभाग को गाटा संख्या 157/3 रकबा 2.468 हे० में से 1.468 हे० श्रेणी बंजर में आदर्श कम्पोजिट विद्यालय मझगवां के पक्ष में किये गये पुनर्ग्रहण आदेश को निरस्त कर उसके स्थान पर राजकीय इंटरमीडिएट कालेज मझगवां हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग उ०प्र० शासन लखनऊ के पक्ष में पुनर्ग्रहण के माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के कम में तहसील राठ के ग्राम मझगवां स्थित गाटा संख्या 157/3 रकबा 2.468 हे0 में से 1.468 हे0 श्रेणी बंजर भूमि पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-1630 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1 (क)-30-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ0प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 धारा 59 की उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या 157/3 रकबा 2.468 हे0 में से 1.468 हे0 श्रेणी बंजर का पूर्व निर्गत आदेश संख्या-1630/डी0एल0आर0सी0-12ए -पुनर्ग्रहण (आदर्श कम्पोजिट विद्यालय) 2022-23 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 निरस्त करता हूँ।

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी	भूमि का मूल्य	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हमीरपुर	राठ	राठ	मझगवां	157/3	2.468 में से 1.468 हेक्टेयर	बंजर	11,74,400/-	आदर्श कम्पोजिट विद्यालय स्थल मझगवां के पक्ष में।

10 जुलाई, 2024 ई0

सं० 610/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2023-24)-शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम मझगवां परगना व तहसील राठ जनपद हमीरपुर की गाटा सं० 157/3 रकबा 2.468 हे0 में से 1.468 हे0 श्रेणी बंजर भूमि की मालियत रु0 11,74,400/- (ग्यारह लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये) है, को राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के निर्माण हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 10 जुलाई, 2024 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	राठ	राठ	मझगवां	157/3	2.468 में से 1.468 हेक्टेयर	बंजर	राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज मझगवां हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ के पक्ष में।

30 जुलाई, 2024 ई०

सं० 1113/डी०एल०आर०सी०-12ए-निरस्तीकरण(2024-25)-अधिशाली अभियंता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० कानुपर के पत्र संख्या 420/ए-6 दिनांक 26 जून, 2024 के क्रम में उपजिलाधिकारी राठ द्वारा अपने पत्र उपजिलाधिकारी राठ ने अपने पत्र-संख्या 1560/रा०नि० (कार्या) पुनर्ग्रहण (2024-25) दिनांक 20 जुलाई, 2024 द्वारा तहसील राठ ग्राम कुछेछा के गाटा संख्या 78मि० रकबा 71.841 हे० में से 4.068हे० का प्रस्ताव विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, झांसी के पक्ष में किये गये पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 854/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक 01 मई, 2023 को निरस्त करते हुये वन विभाग हमीरपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

अधिशाली अभियंता विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि० कानुपर के पत्र-संख्या 420/ए-6 दिनांक 26 जून, 2024, भू०प्र०स० ग्राम मलेहटा डांडा सम्मिलित ग्राम कुछेछा के प्रस्ताव दिनांक 15 जुलाई, 2024 एवं उपजिलाधिकारी राठ के पत्र-संख्या 1560/रा०नि० (कार्या) पुनर्ग्रहण (2024-25) दिनांक 20 जुलाई, 2024 के क्रम में तहसील राठ के ग्राम कुछेछा के गाटा संख्या 78 मि० रकबा 71.841 हे० में से 4.068 हे० भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, झांसी हेतु जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा किये गये पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 854/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक 01 मई, 2023 को निरस्त किया जाना है।

अतः विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1551/79-वि-1-20-1(क)-30-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 में उल्लिखित उ०प्र० राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2020 धारा 59 की उपधारा 4 (ग) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर अनुसूची के स्तम्भ 6 में अंकित भूमि गाटा संख्या 78मि० रकबा 71.841 हे० में से 4.068 हे० भूमि विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, झांसी हेतु जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा किये गये पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 854/डी०एल०आर०सी०-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक 01 मई, 2023 निरस्त करता हूँ।

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	राठ	राठ	कुछेछा	78मि०	71.841 में से 4.068 हेक्टेयर	बंजर	विश्व बैंक खण्ड लो०नि०वि० झांसी के पक्ष में।

सं0 1114/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2024-25)—शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम इंगुई परगना व तहसील राठ जनपद हमीरपुर के गाटा संख्या 108/2 रकबा 0.065 हे0, 111 रकबा 0.025 हे0, 112 रकबा 0.101 हे0, 145/2 रकबा 0.028 हे0, 247 रकबा 0.028 हे0 एवं 256 रकबा 0.080 हे0 कुल रकबा 0.327 हे0 कुल 06 किता श्रेणी बंजर भूमि की मालियत मु0 3,27,000/- (मु0 तीन लाख सत्ताईस हजार रुपये) है, को औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक-विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की आख्या दिनांक 16 जुलाई, 2024 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर—								
1	हमीरपुर	राठ	राठ	इंगुई	108/2	0.065	बंजर	औद्योगिक गलियारा
					111	0.025		परियोजना हेतु उ0प्र0
					112	0.101		एक्सप्रेसवेज औद्योगिक-
					145/2	0.028		विकास प्राधिकरण (यूपीडा)
					247	0.028		लखनऊ के पक्ष में।
					256	0.080		
योग .						0.327		

31 जुलाई, 2024 ई0

सं0 1117/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2024-25)—शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की

उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम धनौरी परगना व तहसील राठ जनपद हमीरपुर की गाटा सं0 901ख रकबा 0.162 हे0 श्रेणी बंजर भूमि की मालियत रु0 1,62,000/- (एक लाख बांसठ हजार रुपये) है, को औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक-विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की संस्तुति सहित आख्या दिनांक 16 जुलाई, 2024 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्ही कारणों/नियम के अर्न्तगत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	राठ	राठ	धनौरी	901ख	0.162 हेक्टेयर	बंजर	औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक- विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में।

17 अगस्त, 2024 ई0

सं0 1204/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण(2024-25)—शासनादेश संख्या 9(1) राजस्व 1/3-3(1)-74 दिनांक 25 जनवरी, 1974 तथा शासनादेश संख्या 68/(3)/राजस्व 1/3-2(6)/1797 दिनांक 01 सितम्बर, 1979 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-32/744/एक-1बी-(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी हमीरपुर निम्न प्रस्तावित भूमि स्थित ग्राम कुछेछा परगना व तहसील राठ जनपद हमीरपुर की गाटा सं0 78मि0 रकबा 71.841 हे0 में से 4.068 हे0 श्रेणी बंजर भूमि की मालियत रु0 32,54,400/- (बत्तीस लाख चौवन हजार चार सौ रुपये) है, को वन विभाग हमीरपुर के पक्ष में पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी राठ की आख्या दिनांक 12 अगस्त, 2024 के आलोक एवं 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में उक्त भूमि इस प्रतिबन्ध के साथ पुनर्ग्रहीत करता हूँ कि उक्त भूमि का प्रयोजन सम्बन्धित विभाग/संस्था किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे तथा उनको उक्त भूमि को विक्रय

करने/किसी अन्य को कब्जे में देने का अधिकार नहीं होगा। यदि सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का उल्लंघन किया जाता है तो उक्त पुनर्ग्रहण आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में किन्हीं कारणों/नियम के अन्तर्गत उपवर्णित धनराशि देय होती है तो उसे अदा करने के लिये सम्बन्धित विभाग/संस्था पूर्ण रूप से बाध्य रहेंगे। उक्त प्रतिबन्धों के अधीन गांव सभा से पुनर्ग्रहण करके निःशुल्क दिये जाने हेतु की प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नवत है—

अनुसूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	परगना	मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हमीरपुर	राठ	राठ	कुछेछा	78मि०	71.841 में से 4.068 हेक्टेयर	बंजर	वन विभाग हमीरपुर के पक्ष में।

राहुल पाण्डेय,
जिलाधिकारी, हमीरपुर।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

कार्यालय, जिलाधिकारी चित्रकूट

प्रारूप-19

[नियम 27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार, कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा 19 की उपचारा (1) के अन्तर्गत)

दिनांक 05 जून, 2025 ई०

अधिसूचना

सं० 114/आठ-वि०भू०अ०अ०/बोंदा-चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-620/आठ-वि०भू०अ०अ०/बोंदा दिनांक 04 मार्च, 2025 लोक प्रयोजन, अर्थात् अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्वी जनपद चित्रकूट के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय बहुदेशीय हब परियोजना के निर्माण हेतु जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के ग्राम-गढ़ीवा की रकबा-3.142 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30 सन् 2013 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है।) की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2025 को जारी की गयी तथा सरकारी गजट में दिनांक 19 अप्रैल, 2025 को प्रकाशित की गयी थी।

2-अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 (1) के अन्तर्गत घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, परगना, और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए चिन्हित नहीं की गयी है। (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है।)

3-कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशित करने के लिए निर्देश देते हैं। चूंकि जनपद चित्रकूट में अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय बहुदेशीय हब परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित न होने के कारण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु किसी भूमि को चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची-“क”

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	गढ़ीवा	224 मि0	0.245
				224 मि0	0.244
				228	0.020
				229	0.020
				230	0.085
				266	0.425
				267अ मि0	0.820
				269	0.798
				267ब	0.061
				277 मि0	0.035
				225	0.299
				270	0.090
				योग ...	3.142

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
चित्रकूट	कर्वी	कर्वी	—	—	हेक्टेयर

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भव नहीं है।)

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्वी जनपद चित्रकूट, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी बोंदा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर,
चित्रकूट।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, CHITRAKOOT

Form-19

[Sub-rule (1) of Rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

(Under Sub-section (1) of section 19 of the Act)

Date : June 05, 2025

NOTIFICATION

No. 114/VIII-S.L.A.O./Banda—Since the Initial notification number-620/ VIII - S.L.A.O./Banda dated 04.03.2025 public purpose, That is, regarding the area of 3.142 hectares of land of Village-Gadhiwa of Tehsil-Karwi of District-Chitrakoot for the construction of international/interstate multipurpose hub project through Executive Engineer, Provincial Section, Public Works Department, Karwi District-Chitrakoot, Under Sub-section (1) of section-11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013 (hereinafter referred to as the said Act)) the preliminary notification was issued on 04-03-2025 and published in the Official Gazette on 19.04.2025.

2-After considering the report submitted under the provisions of Sub-section (2) of section 15 of the Act, the Collector hereby declares under section 19 (1) of the said Act that whereas they are satisfied that the area of land described in Schedule "A" below is required for public purpose and that no land in the Village, Pargana and District as given in Schedule "B" has been earmarked for Rehabilitation and Resettlement of displaced families. (It is not likely that any family will be displaced due to land acquisition for this project.)

3-The Collector further directs to publish the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme alongwith the publication of a declaration to this effect under sub-section (2)

of section-19 of the said Act. Because for the construction of International/Interstate Multipurpose Hub Project in Chitrakoot District, no family is displaced due to land acquisition, there is no need to identify any land for Rehabilitation and Resettlement and to publish the summary of the Rehabilitation and Resettlement plan.

Schedule-"A"

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectares</i>
Chitrakoot	Karwi	Karwi	Gadhiwa	224 Mi.	0.245
				224 Mi.	0.244
				228	0.020
				229	0.020
				230	0.085
				266	0.425
				267a Mi.	0.820
				269	0.798
				267b	0.061
				277Mi.	0.035
				225	0.299
				270	0.090
				Total :	3.142

Schedule-"B"

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Chitrakoot	Karwi	Karwi	--	--	--

(It is not likely that any family will be displaced due to land acquisition for this project.)

Note—The site map of the said land can be seen in the Office of Executive Engineer, Provincial Section. Public Works Department, Karwi District-Chitrakoot/Special land Acquisition Officer Banda.

*Collector,
Chitrakoot.*

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

18 जून, 2025 ई0

सं0 3028/जी0-240/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना केराकत जनपद जौनपुर के ग्राम सिहौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3029/जी0-362ए/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौतनवा परगना हवेली जनपद महाराजगंज के ग्राम पिपरा सोहट, तप्पा-लेहड़ा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3030/जी0-309/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना जलेसर जनपद एटा के ग्राम गोपालपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3031/जी0-247/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना सिकन्दरा जनपद प्रयागराज के ग्राम आगरापट्टी में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3032/जी0-247/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील फूलपुर परगना सिकन्दरा जनपद प्रयागराज के ग्राम कोड़ापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

24 जून, 2025 ई0

सं0 3071/जी0-175/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ के ग्राम सियाबस्ती में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3072/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित

अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के ग्राम अकलघरवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3073/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के ग्राम नरिहवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3074/जी0-153/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना फरीदपुर जनपद

बरेली के ग्राम रावलकलां खुर्द में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3075/जी0-171/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व तहसील सीतापुर वर्तमान तहसील लहरपुर परगना लहरपुर जनपद सीतापुर के ग्राम खैरुल्लापुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3076/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के ग्राम कंचनपुर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3077/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के ग्राम बड़काभुकुरुवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3078/जी0-228/2024-25/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5)1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के ग्राम छोटकाभुकुरुवा (भवानीपुर) में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 3079/जी0-168/2023-24/धारा-52(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ0प्र0, अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा-52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958

तथा शासनादेश सं० 23/1/1-(5)1991-टी०सी०आर०-1, होने के दिनांक से तहसील लालगंज परगना सदर जनपद दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार प्रतापगढ़ के ग्राम देऊम पश्चिम में चकबन्दी क्रियाएं उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित समाप्त हो गयी हैं।

अधिकारों का प्रयोग करके मैं भानु चन्द्र गोस्वामी, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञापित के सरकारी गजट में प्रकाशित

भानु चन्द्र गोस्वामी,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, २३ अगस्त, २०२५ ई० (भाद्रपद ०१, १९४७ शक संवत्)

भाग २

आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION

NOTIFICATION

August 08, 2025

No. 721/XC-3/Admin.(E-1)Section/2026/Alld.—The proposed list of Holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its Bench at Lucknow during the year 2026, is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IV of 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification in the Gazette after which the list will be taken up for consideration and sanction.

Proposed list of Holidays to be observed in the High Court of Judicature at Allahabad including its bench at Lucknow during the year 2026.

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1.	New Year's Day	January 01, 2026	Thursday	01
2.	Makar Sankranti	January 14, 2026	Wednesday	01
3.	Basant Panchami	January 23, 2026	Friday	01
4.	Republic Day	January 26, 2026	Monday	01

1	2	3	4	5
5.	Mahashivratri	February 15, 2026	Sunday	01
6.	Holi Holidays	March 03 to 06, 2026	Tuesday to Friday	04
7.	*Id-ul-Fitra	March 21, 2026	Saturday	01
8.	Ram Navami	March 26, 2026	Thursday	01
9.	Ambedkar Jayanti	April 14, 2026	Tuesday	01
10.	*Id-ul-Zuha	May 28, 2026	Thursday	01
11.	Summer Vacation	June 01 to 30, 2026	Monday to Tuesday	30
12.	*Moharram	June 26, 2026	Friday	01
13.	Independence Day	August 15, 2026	Saturday	01
14.	*Barawafat	August 26, 2026	Wednesday	01
15.	Raksha Bandhan	August 28, 2026	Friday	01
16.	Janmashtami	September 04, 2026	Friday	01
17.	Gandhi Jayanti	October 02, 2026	Friday	01
18.	Dashehra Holidays	October 17 to October 22, 2026	Saturday to Thursday	06
19.	Deepawali Holidays	November 07 to 11, 2026	Saturday to Wednesday	05
20.	Guru Nanak Jayanti & Kartik Purnima	November 24, 2026	Tuesday	01
21.	Winter Holidays	December 25 to 31, 2026	Friday to Thursday	07

NOTES :-

1. The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the local visibility of the Moon. If there is no change, no notification shall be issued.
2. Second Saturday of each month will be a holiday.
3. Sunday, January 18, 2026 will be a local holiday on account of Mauni Amavasya only for Allahabad.
4. Friday, March 20, 2026 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
5. Friday, April 03, 2026 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
6. Tuesday, May 05, 2026 will be local holiday on account of Mahavir-Ji-Ka-Mela only for Lucknow Bench of the Court.
7. There is a separate list of holidays for the District Judiciary of Allahabad High Court.

By order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
(H.J.S.),
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

08 अगस्त, 2025 ई0

सं0 722/XC-3/प्रशासनिक(ई-1)अनु0/2026/इलाहाबाद-इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2026 में जिन पर्वों पर बन्द रहेंगा, उन प्रस्तावित अवकाशों की सूची ऐक्ट संख्या XII सन् 1887 की धारा-15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या IV सन् 1925 की धारा-47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति, यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे, तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अंतिम रूप दिया जायेगा।

**प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ पीठ सहित वर्ष 2026 में बन्द रहेगा।**

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2026	बृहस्पतिवार	01
2	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2026	बुधवार	01
3	बसंत पंचमी	23 जनवरी, 2026	शुक्रवार	01
4	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	सोमवार	01
5	महाशिवरात्रि	15 फरवरी, 2026	रविवार	01
6	होली अवकाश	03 से 06 मार्च, 2026	मंगलवार से शुक्रवार	04
7	*ईद-उल-फ़ित्र	21 मार्च, 2026	शनिवार	01
8	रामनवमी	26 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
9	अम्बेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2026	मंगलवार	01
10	*ईद-उल-जुहा	28 मई, 2026	बृहस्पतिवार	01
11	ग्रीष्मावकाश	1 से 30 जून, 2026	सोमवार से मंगलवार	30
12	*मोहर्रम	26 जून, 2026	शुक्रवार	01
13	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	शनिवार	01
14	*बारावफात	26 अगस्त, 2026	बुधवार	01
15	रक्षाबंधन	28 अगस्त, 2026	शुक्रवार	01
16	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
17	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	01
18	दशहरा अवकाश	17 से 22 अक्टूबर, 2026	शनिवार से बृहस्पतिवार	06
19	दीपावली अवकाश	07 से 11 नवम्बर, 2026	शनिवार से बुधवार	05
20	गुरुनानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा	24 नवम्बर, 2026	मंगलवार	01
21	शीतकालीन अवकाश	25 से 31 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार से बृहस्पतिवार	07

टिप्पणी—

- 1—तारांकित (*) तिथियां स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं। यदि तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अधिसूचना जारी नहीं की जायेगी।
- 2—प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।
- 3—रविवार, 18 जनवरी, 2026 को मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में केवल इलाहाबाद के लिये स्थानीय अवकाश रहेगा।
- 4—शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को रमजान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 5—शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 को गुड फ्राईडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 6—मंगलवार, 05 मई, 2026 को 'महावीर जी का मेला' के उपलक्ष्य में केवल लखनऊ पीठ के लिये स्थानीय अवकाश रहेगा।
- 7—इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
राजीव भारती,
उ0 न्या0 से0,
महानिबन्धक।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**ADMINISTRATIVE (E-1) SECTION****NOTIFICATION**

August 08, 2025

No. 723/XC-4/Admin.(E-1)/2026/Allahabad—The proposed list of Holidays to be observed in the District Judiciary of Allahabad High Court during the year 2026 is being published for suggestions and objections, if any, before it is finally sanctioned under section 15 of Act No. XII of 1887 and section 47 of U.P. Act No. IV of 1925.

Any one desirous of making any suggestions/objections may do so in writing to the Registrar General of the Court within fifteen days of publication of this Notification after which the list will be taken up for consideration and sanction.

**Proposed list of Holidays to be observed in the District Judiciary of
Allahabad High Court during the year 2026.**

Sl. No.	Holidays	Dates on which they fall	Days of the Week	No. of days
1	2	3	4	5
1	Republic Day	January 26, 2026	Monday	01
2	Mahashivratri	February 15, 2026	Sunday	01
3	Holi Holidays	March 03 & 04, 2026	Tuesday & Wednesday	02
4	*Id-ul-Fitra	March 21, 2026	Saturday	01
5	Ram Navami	March 26, 2026	Thursday	01
6	*Id-ul-Zuha	May 28, 2026	Thursday	01
7	**Summer Vacation	June 01 to 30, 2026	Monday to Tuesday	-

1	2	3	4	5
8	*Moharram	June 26, 2026	Friday	01
9	Independence Day	August 15, 2026	Saturday	01
10	Janmashtami	September 04, 2026	Friday	01
11	Gandhi Jayanti	October 02, 2026	Friday	01
12	Dashehra	October 20, 2026	Tuesday	01
13	Deepawali Holidays	November 08 & 09, 2026	Sunday & Monday	02
14	Christmas Day	December 25, 2026	Friday	01
15	Winter Holidays	December 26 to 31, 2026	Saturday to Thursday	06

NOTES :-

- 1- The dates marked with asterisk (*) can be re-fixed according to the Local visibility of the Moon.
- 2- Second Saturday of each month will be a holiday.
- 3- The District Judge shall declare five days local holidays in consultation with the District Magistrate.
- 4- Friday, March 20, 2026 will be a restricted holiday on account of Last Friday of Ramzan for Muslims only.
- 5- Friday, April 03, 2026 will be a restricted holiday on account of Good Friday for Christians only.
- 6- **Only Civil Work (except urgent matters) will be suspended during the period of Summer Vacation whereas the work related to Criminal Cases shall continue as usual.
- 7- In case any of the National or other holidays mentioned in the Calendar falls on Second Saturday or on a Sunday, it will be up to the District Judge to declare in its place additional days as holidays.
- 8- There shall not be less than 265 working days in the District Judiciary of Allahabad High Court in a year.
- 9- Every Fourth Saturday shall be holiday only for Judicial Officers but working day for all purposes for other staff of the District Judiciary of Allahabad High Court.
- 10- There is a separate list of holidays for the High Court.

By Order of the Court,
RAJEEV BHARTI,
(H.J.S.),
Registrar General.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रशासनिक (ई-1) अनुभाग

विज्ञप्ति

08 अगस्त, 2025 ई०

सं० 724/XC-4/प्रशासनिक(ई-1)अनु०/2026/इलाहाबाद-इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालय वर्ष 2026 में जिन पर्वों पर बन्द रहेंगे उन प्रस्तावित अवकाशों की सूची ऐक्ट संख्या XII सन् 1887 की धारा-15 तथा उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या IV सन् 1925 की धारा-47 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने के पूर्व सुझाव तथा आपत्ति, यदि कोई हो, के हेतु प्रकाशित की जाती है।

कोई व्यक्ति, यदि कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहे तो उसको लिखित रूप से महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है, जिसके उपरान्त इस सूची पर विचार कर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

**प्रस्तावित अवकाशों की सूची जिनके अनुसार इलाहाबाद
उच्च न्यायालय, के जनपद न्यायालय वर्ष 2026 में बन्द रहेंगे।**

क्रम संख्या	पर्व/छुट्टियों के नाम	दिनांक	सप्ताह के दिन	दिवस की संख्या
1	2	3	4	5
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2026	सोमवार	01
2	महाशिवरात्रि	15 फरवरी, 2026	रविवार	01
3	होली अवकाश	03 एवं 04, मार्च, 2026	मंगलवार एवं बुधवार	02
4	*ईद-उल-फ़ित्र	21 मार्च, 2026	शनिवार	01
5	रामनवमी	26 मार्च, 2026	बृहस्पतिवार	01
6	*ईद-उल-जुहा	28 मई, 2026	बृहस्पतिवार	01
7	**ग्रीष्मावकाश	1 से 30 जून, 2026	सोमवार से मंगलवार	—
8	*मोहर्रम	26 जून, 2026	शुक्रवार	01
9	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2026	शनिवार	01
10	जन्माष्टमी	04 सितम्बर, 2026	शुक्रवार	01
11	गांधी जयंती	02 अक्टूबर, 2026	शुक्रवार	01
12	दशहरा	20 अक्टूबर, 2026	मंगलवार	01
13	दीपावली अवकाश	08 एवं 09, नवम्बर, 2026	रविवार एवं सोमवार	02
14	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2026	शुक्रवार	01
15	शीतकालीन अवकाश	26 से 31 दिसम्बर, 2026	शनिवार से बृहस्पतिवार	06

टिप्पणी—

- 1— तारांकित (*) तिथियाँ स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।
- 2— प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा।
- 3— जनपद न्यायाधीश पाँच दिन का स्थानीय अवकाश ज़िला मजिस्ट्रेट से विचार-विमर्श करके निश्चित एवं घोषित करेंगे।
- 4— शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को रमज़ान के अन्तिम शुक्रवार के उपलक्ष्य में केवल मुसलमानों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 5— शुक्रवार, 03 अप्रैल, 2026 को गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में केवल ईसाइयों के लिये निर्बन्धित अवकाश रहेगा।
- 6— **ग्रीष्मावकाश की अवधि में केवल सिविल कार्य (अत्यावश्यक मामलों को छोड़कर) स्थगित रहेंगे, जबकि आपराधिक मामलों की सुनवाई यथावत् जारी रहेगी।
- 7— यदि कैलेंडर में वर्णित कोई राष्ट्रीय या अन्य अवकाश, द्वितीय शनिवार या रविवार को पड़ता है, तो जनपद न्यायाधीश उसके स्थान पर अतिरिक्त दिवस को अवकाश के रूप में घोषित कर सकते हैं।
- 8— इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जनपद न्यायालयों में कार्य-दिवस एक वर्ष में 265 दिन से कम नहीं रहेगा।
- 9— प्रत्येक मास के चतुर्थ शनिवार को केवल न्यायिक अधिकारियों के लिये अवकाश रहेगा परन्तु अन्य कर्मचारियों के लिये कार्य-दिवस रहेगा।
- 10— उच्च न्यायालय के अवकाशों की सूची अलग से है।

न्यायालय की आज्ञा से,
राजीव भारती,
उ0 न्या0 से0,
महानिबन्धक।

पी0एस0यू0पी0—21 हिन्दी गजट—भाग 2—2025 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 01, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, बाँदा

28 अक्टूबर, 2024 ई०

उपविधि

पत्रांक-1256/करवि०/न०पा०परि०बाँदा/2024-25. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका बाँदा उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 का प्रयोग करते हुए मा० बोर्ड की सहमति के उपरान्त नगर पालिका सीमान्तर्गत शहर में भवन नामांकन/नामान्तरण व शैक्षणिक संस्थान, ई-रिक्शा, नगर पालिका की स्वामित्व की दुकाने, पालिका सीमान्तर्गत मनोरंजन शुल्क, आरोप्लांट, सर्कस, प्रदर्शनी, मोबाईल टावर की दरों में वसूली बढ़ाने के दृष्टिगत पालिका बैठक बोर्ड दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के साधारण प्रस्ताव 02 के क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05, 11 को संशोधित व प्रस्तावित दरों को सर्वसम्मति से संशोधित की गयी है।

उपरोक्त प्रकाशन आपत्ति हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला में दिनांक 15 जून, 2024 व दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14 जून, 2024 को प्रकाशन कराया गया था, तथा निर्धारित समयावधि 30 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई दावा/आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है। तथा पुनः आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 विशेष प्रस्ताव संख्या-02 में प्रस्तावित दरों को गजट प्रकाशन से पूर्व स्वीकृत प्राप्ति हेतु रखा गया,

जिसमें विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव संख्या-1 (क) वरासतन/वसीयत व न्यायालय निर्णय आदि के लिए नामांकन/नामान्तरण संशोधित शुल्क रु० 1,000/- के स्थान पर रु० 500/- एवं 1 (ख) नामांकन/नामान्तरण जरिये बैनामा के लिए रु० 05 लाख की मालियत के स्थान पर 20 लाख की मालियत तक रु० 1,000/- नामांकन/नामान्तरण शुल्क तथा 1 (ग) 05 लाख से ऊपर ऊपर मालियत के बैनामे पर मालियत का 0.5 प्रतिशत भवन नामांकन/नामान्तरण शुल्क के स्थान पर रु० 20 लाख से ऊपर के भवन नामांकन/नामान्तरण शुल्क रु० 3,000/- तथा अन्य सभी मदों क्रम सं० 02, 03, 04, 05, 11 को यथावत आहूत बोर्ड में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उपरोक्त प्रस्तावित प्रकाशन उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सु-संगत धाराओं के अन्तर्गत किया जा रहा है।

पालिका बोर्ड प्रस्ताव संख्या 07, दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा नगर पालिका परिषद, बांदा के सीमान्तर्गत शहर में प्रचार-प्रसार/विज्ञापन शुल्क बढ़ाया गया था, यह प्रचार-प्रसार/विज्ञापन शुल्क अत्यधिक होने के कारण विज्ञापन ठेकेदारों द्वारा विज्ञापन ठेका नहीं लिये जाने से निकाय को आर्थिक क्षति हो रही थी। जिसके फलस्वरूप निर्देशानुसार उक्त मद में वसूली बढ़ाने के दृष्टिगत पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 के साधारण प्रस्ताव संख्या-02 के क्रम संख्या- 05 में विज्ञापन शुल्क उपविधि नियमावली, 2018 में उल्लिखित/वर्तमान में प्रचलित दरों को पालिका बोर्ड में सर्वसम्मति से संशोधित की गयी है। अतः यह उपविधि गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी—

उपरोक्त का विवरण निम्नतव है—

मद का प्रकार	प्रचलित दर	संशोधित दर
1	2	3
1, (क) वरासतन/वसीयत व न्यायालय निर्णय के आधार पर नामांकन/नामान्तरण संशोधित शुल्क रु० 500/-बढ़ाये जाने पर विचार	रु० 100/प्रति नामांकन/नामान्तरण	संशोधित शुल्क रु० 500/
(ख) नामांकन/नामान्तरण जरिये बैनामा के आधार पर 20 लाख की मालियत तक रु० 1,000/-नामांकन/नामान्तरण शुल्क	„	रु० 1,000/-नामांकन/नामान्तरण शुल्क
(ग) 20 लाख से ऊपर मालियत के बैनामों पर नामांकन/नामान्तरण शुल्क	„	रु० 3,000/-नामांकन/नामान्तरण शुल्क
(2) वर्तमान में प्रचलित नकल शुल्क की दर रु० 25/ के स्थान पर रु० 150/प्रति भवन/प्रति गाटा नम्बर की दर से नकल शुल्क बढ़ाये जाने पर विचार।	प्रचलित नकल शुल्क रु० 25/-प्रति नकल	(2) संशोधित रु० 50/- प्रति भवन/गाटा नं० की दर से नकल शुल्क वृद्धि।
(3) नगर पालिका परिषद बांदा क्षेत्रान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूलों/कालेजों एवं कोचिंग संस्थानों पर निम्नानुसार व्यावसायिक शुल्क अधिरोपित/लगाये जाने पर विचार।	„	(3) नगर पालिका परिषद बांदा क्षेत्रान्तर्गत संचालित निजी स्वामित्व के स्कूलों/कालेजों एवं कोचिंग संस्थानों को नियन्त्रित करने एवं पालिका आय में वृद्धि हेतु निम्नानुसार शुल्क अधिरोपित किये गये हैं।

1	2	3
(क) रु0 500 बच्चों की क्षमता वाले स्कूलों पर वार्षिक शुल्क रु0 1,000/-	प्रचलित नकल शुल्क रु0 25/-प्रति नकल	(क) वार्षिक शुल्क रु0 1,000/-
(ख) रु0 500 से 1,000 तक की क्षमता वाले स्कूलों पर वार्षिक शुल्क रु0 2,000/-	"	(ख) वार्षिक शुल्क रु0 2,000/-
(ग) रु0 1,000 से ऊपर की क्षमता वाले स्कूलों पर वार्षिक शुल्क रु0 5,000/-	"	(ग) वार्षिक शुल्क रु0 5,000/-
(घ) नगर पलिका सीमा में स्थित प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर व्यवसायिक वार्षिक शुल्क रु0 3,000/-	"	(घ) वार्षिक शुल्क रु0 3,000/-
(4) नगर पलिका परिषद, बांदा के स्वामित्व की दुकानों पर निम्नानुसार किराया वृद्धि करने पर विचार।	"	(4) नगर पलिका परिषद, बांदा के स्वामित्व की दुकानों पर निम्नानुसार है।
(क) भूतल पर रु0 10/- प्रति वर्ग फिट दर से मासिक किराया पर विचार।	"	(क) बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार है।
(ख) प्रथम तल पर रु0 8/- प्रति वर्ग फिट की दर से मासिक किराया पर विचार।	"	(ख) बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार है।
(5) विज्ञापन शुल्क उपविधि नियमावली, 2018 में उल्लिखित/वर्तमान में प्रचलित दरों पर निकाय की आय में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत निम्नानुसार दरें संशोधन किये जाने पर विचार।	"	(5) विज्ञापन शुल्क उपविधि नियमावली 2018 में उल्लिखित/वर्तमान में प्रचलित दरों पर निकाय की आय में बढ़ोत्तरी के संदर्भ में बोर्ड द्वारा व्यापक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावित विज्ञापन दरें निम्नानुसार स्वीकार है।
1.होर्डिंग वालपेंटिंग, कियोस्क बोर्ड कैनओपी, सनपैक एवं गाड़ियों द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार हेतु शुल्क रु0 10/- प्रति वर्गफिट।	रु0 10/- प्रति वर्गफिट/मासिक	रु0 3 प्रति वर्गफिट प्रतिमाह
2.साइनेज बोर्ड शुल्क रु0 20/-प्रति वर्गफिट।	"	रु0 6 प्रति वर्गफिट प्रतिमाह
3.यूनीपोल एवं गैन्ट्रीलीवन शुल्क रु0 30/- प्रति वर्गफिट।	"	रु0 6 प्रति वर्गफिट प्रतिमाह
4.एल0ई0डी0 डिस्प्ले पैनल शुल्क रु0 100/-	"	रु0 25 प्रति वर्गफिट प्रतिमाह
5. 2.5x4 के बैनर पर प्रति माह शुल्क।	"	रु0 30 प्रतिमाह

1	2	3
11. (क) पालिका सीमा में मनोरंजन (शो) के माध्यम से फिल्म/मनोरंजन आदि कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाने पर रु0 200/- प्रतिदिन प्रति शो की दर से शुल्क अधिरोपित/वसूली पर विचार	रु0 100/- प्रति वर्गफिट/मासिक	रु0 200/- प्रतिदिन प्रति शो की दर से शुल्क अधिरोपित /वसूली
(ख) नगर पालिका परिषद, क्षेत्रान्तर्गत सर्कस/प्रदर्शनी आदि पर प्रतिदिन/प्रति शो रु0 500/- शुल्क अधिरोपित/वसूली पर विचार।	„	प्रतिदिन/प्रति शो रु0 500/- शुल्क अधिरोपित
(ग) नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्थापित मोबाईल टावर/अन्य टावरों पर व्यवसायिक वार्षिक शुल्क रु0 10,000/- अधिरोपित/वसूली पर विचार।	„	वार्षिक शुल्क रु0 10,000/- अधिरोपित
(घ) नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत चलने वाले ई-रिक्शों पर वार्षिक शुल्क रु0 1,000/- अधिरोपित/वसूली पर विचार।	„	वार्षिक शुल्क रु0 1,000/- अधिरोपित
(ङ) नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत स्वचलित आर0 ओ0 प्लान्ट पर वार्षिक शुल्क रु0 5,000/- अधिरोपित/वसूली पर विचार।	„	वार्षिक शुल्क रु0 5,000/- अधिरोपित

उपरोक्त प्रकाशन आपत्ति हेतु दैनिक समाचार-पत्र दैनिक अमर उजाला में दिनांक 15 जून, 2024 व दैनिक समाचार-पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 14 जून, 2024 को प्रकाशन कराया गया था, तथा निर्धारित समयावधि 30 दिन व्यतीत हो जाने के उपरान्त कोई दावा/आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है। तथा पुनः आहूत बोर्ड बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2024 विशेष प्रस्ताव संख्या- 02 में प्रस्तावित दरों को गजट प्रकाशन से पूर्व स्वीकृत प्राप्ति हेतु रखा गया, जिसमें विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव संख्या-1 (क) वरासतन/वसीयत व न्यायालय निर्णय आदि के लिए नामांकन/ नामान्तरण संशोधित शुल्क रु0 1,000/- के स्थान पर रु0 500/- रु0 एवं 1 (ख) नामांकन/नामान्तरण जरिये बैनामा के लिए 05 लाख की मालियत के स्थान पर 20 लाख की मालियत तक रु0 1,000/- नामांकन/नामान्तरण शुल्क तथा 1 (ग) 05 लाख से ऊपर मालियत के बैनामे पर मालियत का 0.5 प्रतिशत भवन नामांकन/नामान्तरण शुल्क के स्थान पर 20 लाख से ऊपर के भवन नामांकन/नामान्तरण शुल्क रु0 3,000/- तथा अन्य सभी मदों क्रम संख्या- 02, 03, 04, 05, 11 को यथावत आहूत बोर्ड में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। उपरोक्त प्रस्तावित प्रकाशन उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत किया जा रहा है।

मालती गुप्ता बासू ,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, बाँदा।

कार्यालय नगर पालिका परिषद बड़ौत, बागपत

10 जुलाई, 2025 ई0

सं0 275/मुख्य कार्यालय/2025-26—कृपया उ0प्र0 शासन उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-912/नौ-1-9-2024-85-05, टी0सी-01 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में बोर्ड प्रस्ताव सं0 353 दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 के द्वारा नगर पालिका बोर्ड की अनुमति के पश्चात नगर पालिका परिषद बड़ौत बागपत (भवन/भूमि दोनों के वार्षिक मूल्यांकन पर कर) संशोधित उपनियमावली-2024 के द्वारा स्वकर निर्धारण व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसके अनुपालन में कार्यालय पत्र सं0 679/मुख्य कार्यालय/2024-25, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 को दो दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, अमर उजाला में दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को प्रस्तावित मासिक किराया दरों पर आपत्ति/सुझाव मांगे जाने हेतु प्रकाशन कराया गया था। जिस पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड के विशेष प्रस्ताव सं0 166, दिनांक 28 जून, 2025 के द्वारा सर्व सम्पत्ति से निम्नलिखित नगर पालिका परिषद बड़ौत (बागपत) संशोधित सम्पत्ति कर उपविधि-2024 को स्वीकृत प्रदान की गयी है। संशोधित उपविधि-2024 का अंतिम प्रकाशन है। जो गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

कक्ष वार (वार्ड वार) व अन्य निर्धारित कारपेट एरिया की न्यूनतम मासिक किराया (प्रति वर्ग फुट)

दरों की सूची—

क्र० वार्ड सं०		वार्ड का विस्तार मौहल्ले/गली /कालोनी का नाम	09 मी० से कम चौड़े मार्ग पर अवस्थित			09 मी०-12 मी० तक चौड़े मार्ग पर अवस्थित			12 मी०-24 मी० तक चौड़े मार्ग पर अवस्थित			24 मी० से अधिक चौड़े मार्ग पर अवस्थित			भूमि (खाली प्लॉट) की अवस्थित			
		आर० सी०सी० /आर० वी०सी० छत सहित पक्के भवन	अन्य कच्चे भवन	कच्चे भवन	आर० सी०सी० /आर० वी०सी० छत सहित पक्के भवन	अन्य कच्चे भवन	कच्चे भवन	आर० सी०सी० /आर० वी०सी० छत सहित पक्के भवन	अन्य कच्चे भवन	कच्चे भवन	आर० सी०सी० /आर० वी०सी० छत सहित पक्के भवन	अन्य कच्चे भवन	कच्चे भवन	0-9 मी० से कम चौड़ाई का मार्ग	09 मी० से 12 मी० तक चौड़ाई का मार्ग	12 मी०-24 मी० अधिक चौड़ाई का मार्ग	24 मी० से अधिक चौड़ाई का मार्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	1—	मौ० शोरगिरान, अग्रवाल कालोनी कोताना रोड	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.39	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.21	0.25
		बाल्मिकी बस्ती, रविदासपुरी बडौली रोड, घास मण्डी, मौ० कटारान	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
2.	2—	बडका रोड, मौ० शोरगिरान मौ० इस्लामाबाद, बाल्मिकी क्वार्टर बडौली रोड पूर्वी	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
		बडौली रोड पूर्वी हरिजन हास्टल से आगे सीमा तक	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.36	0.16	0.18	0.21	0.25
		दिल्ली सहारनपुर रोड, सराय रोड, सराय रोड से बडका रोड, नहर पटरी, हैमर कालोनी, रिषभ विहार, गौतम विहार	1.20	0.90	0.80	1.30	1.00	0.90	1.50	1.20	1.00	1.80	1.50	1.10	0.60	0.65	0.75	0.80
3.	3—	मौ० खिरनी, मौ० कश्यप, गली संगम वाली, गली पंजाबी, गली कुए वाली गौतम नगर	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
4.	4—	मौ० आजाद नगर, मौ० शिव बिहार बालमुकुन्द कालोनी, शिव विहार, बसंत विहार, वेद विहार, कृष्णा नगर, आंशिक कोमल विहार, बिनौली-मंडी लिंक रोड, मण्डी रोड उत्तरी व दक्षिणी फाटक पार	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.	5—	गली न० 1 से 5, मौ० डा० अम्बेडकर नगर, शिव कालोनी उर्दु कालोनी, गली 5 पलडियो वाली, गली हरी मस्जिद, गली मुलेजाट, बडका चौपाल	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
6.	6—	नि० जैन स्थानक, गली भाडीयान मस्जिद, गली झीमरो वाली, गली जुलाहो वाली, नि० ठाकुर द्वारा, गली मौ० गंज, कश्यप चौपाल, गली बाल्मिकी, गली कुम्हारो वाली, गली खारी कुआ	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
7.	7—	आर्य नगर, गंगा बिहार, रामा कालोनी, माल गोदाम रोड, गगन बिहार, शान्तिपुरम, नहर की पटरी	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
8.	8—	देव नगर, नई बस्ती, पट्टी चौधरान, शान्तिपुरम, कनिष्क बिहार	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
9.	9—	बावली रोड चौपाला, खत्री गढी मुखिया मैम्बर वाली गली, गली कश्यप वाली, गंगा राम मार्किट भगवान महावीर मार्ग, बिजरोल लिंक रोड,	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
10.	10—	आवास विकास कालोनी, कोताना रोड दक्षिण व उत्तरी, चरण विहार, तहसील कम्पाउण्ड, अजीतपुरम, पटवारी वाली गली, सी०एच०सी०, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, बलजीत नगर	0.36	0.32	0.27	0.40	0.36	0.32	0.45	0.43	0.38	0.47	0.45	0.4	0.18	0.20	0.23	0.27
		नवयुग मार्किट, नवयुग कालोनी, जयन्त विहार	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
		किदवई नगर, कांशीराम कालोनी,	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
		मलकपुर रोड दक्षिणी, दिल्ली सहारनपुर रोड, कोताना रोड नहर पार	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	1.10	1.00	0.90	0.20	0.25	0.30	0.80
11.	11—	बीस फुटा, गली डा० बेबी वाली, कमला नगर, न्यू कमला नगर, गैस गोदाम वाली गली न० 6 से 8 तक, विजय नगर, खलकत नगर, नहर की पटरी	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
12.	12—	पाण्डव नगर, शताब्दी नगर, शिव सिंह की कालोनी, मलकपुर रोड, दिल्ली सहारनपुर रोड उत्तरी	0.32	0.29	0.23	0.36	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	1.10	1.00	0.90	0.20	0.25	0.30	0.80
		ईदगाह के पीछे, शान्तिनगर, शिवपुरी, पट्टी चौधरान, सरकूलर रोड	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
13.	13	गली बर्फ वाली खिरनी मौ०, जैन नगर, टावर वाली गली, पालसन फ़ैक्ट्री वाली गली, कश्यप गली गली पंजाबी क्वार्टर्स, गली कुए वाली गली मुलेजाट, बडका चौपाला, कोताना रोड, वर्धमान गली, लुहारो वाली गली मौ० वाडा	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14.	14—	रामबाग, मोहन नगर, साकेत कालोनी, होशियारपुरी, रामनगर, न्यूरामनगर, गाँधी कालोनी, सूर्य नगर, बिजरोल रोड चरण सिंह विहार,	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
15.	15—	मौ0 कस्सावान, फांस वाला तालाब, थाना रोड, सक्को वाला कुआँ, सरकूलर रोड, गली छत्ता, मौ0 गडरियान, छपरौली रोड, मस्जिद रंगरंग	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
16.	16—	कोताना रोड, गली भट्टे वाली पट्टी मेहर, बडौली रोड पश्चिमी	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
		नाला पटरी गली राजकमल, नाला पटरी गली कश्यप नाला पटरी गली गडरियान, पारस बिहार बडौली रोड	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
		दिल्ली सहारनपुर रोड	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	1.10	1.00	0.90	0.20	0.25	0.30	0.80
17.	17—	न्यू मार्किट, मौ0 गुसाईयान, बीस फुटा, पठान कोट	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.36	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
18.	18—	मौ0 पट्टी चौधरान, गली चीफगन वाली, गली कश्यप वाली गली कुम्हारो वाली गली महात्मा गाँधी इण्टर कालिज, सरकूलर रोड, मौ0 खारी कुआ गली पट्टी चौधरान	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
19.	19—	शान्तिसागर, गली लक्खी वाली मौ0 पदमपुरी, मौ0 आर्य नगर	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
20.	20—	ओम बिहार, सुभाष नगर, दिलीप बिहार, अर्जुनपुरम शताब्दी नगर, ब्लाक क्वार्टर, पटेल नगर, गोविन्द गार्डन, सुमेर एन्क्लेव, शाहमल एन्क्लेव, दिल्ली सहारनपुर रोड	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	1.10	1.00	0.90	0.20	0.25	0.30	0.80
21.	21—	माता वाली गली धर्मपुरा गली मालियान, जगदीशपुरी मान सरोवर, रामा कालोनी	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
22.	22—	बिजरौल रोड, भगवान महावीर मार्ग, जैन गली न0 1 से 5 तक, नई मण्डी व नहर की पटरी मधुबन कालोनी, मण्डी सुल्तान गंज, रामबाग, मण्डी आनन्द गंज, मण्डी धनश्याम गंज	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24
23.	23—	बड़ी मस्जिद वाली गली पठान कोट, इमदारी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, खलकत नगर	0.27	0.23	0.18	0.28	0.27	0.20	0.33	0.30	0.25	0.43	0.42	0.29	0.14	0.16	0.18	0.22
24.	24—	पंचदरा गली जगजोत सिंह, पुरियान, बर्फ वाली गली, तीरगिरान	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25.	25—पट्टी चौधरान गली छत्ता आधा भाग, लोहिया बाजार गाँधी चौक नया बाजार	0.32	0.29	0.23	0.33	0.32	0.27	0.40	0.36	0.34	0.45	0.42	0.38	0.16	0.18	0.20	0.24	
26.	NA वार्ड सं0 01 से 25 तक वार्डों के सीमान्तर्गत विवाह मण्डप, बैंकट हॉल, बारात घर, कल्याण मण्डप	0.35	0.30	0.23	0.37	0.35	0.27	0.42	0.40	0.30	0.50	0.45	0.40	0.18	0.20	0.25	0.30	
27.	NA वार्ड सं0 01 से 25 तक वार्डों के सीमान्तर्गत अस्पताल, नर्सिंग होम व क्लीनिक	0.44	0.40	0.36	0.45	0.42	0.41	0.47	0.44	0.43	0.49	0.47	0.45	0.20	0.25	0.30	0.35	
28.	NA वार्ड सं0 01 से 25 तक वार्डों के सीमान्तर्गत भवनों में स्थित बैंकों एवं स्वयं की निजी भूमि पर बनी बैंक	0.60	0.58	0.56	0.75	0.72	0.70	0.85	0.80	0.75	1.10	0.90	0.80	0.35	0.40	0.45	0.50	

नोट— उपरोक्त तालिका में जो मौहल्ले/कालोनी अंकित नहीं है अथवा नये विकसित हो जाये। उनके आवासीय भवनों या भू-खण्डों पर वही दरें प्रभावी मानी जायेगी जो उनके निकटतम मौहल्ले/कालोनी में प्रभावी होगी।

2— कर का निर्धारण— वर्तमान स्थिति— अधिनियम की धारा-140 के अधीन निर्धारित दरों की गणना अनुसार वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत गृहकर व 7.5 प्रतिशत जलकर देय होगा जो प्रपत्र “क” में अंकित कर नियत तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा दण्ड का भागी होगा। संशोधित दर रु अधिनियम की धारा-140 के अधीन उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा जारी अधिसूचना सं0-912/नौ-1-9-2024-85-05, टी0सी-01 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 द्वारा निर्धारित दरों की गणना अनुसार भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत गृहकर व 7.5 प्रतिशत जलकर एवं 2.5 प्रतिशत जल निकास कर देय होगा जो प्रपत्र “क” में अंकित कर नियत तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा दण्ड का भागी होगा।

3— अनावासीय भवन का निर्धारण—

वर्तमान सूची— व्यावसायिक भवनों की दरें अधिनियम की धारा-140(1) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाली वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासीय भवनों के पूर्व प्रचलित उपनियमावली-07 अगस्त, 2014 ई0 के अनुसूची को संशोधित कर निम्न अनुसूची लागू होगी।

संशोधित सूची— अनावासिक भवनों और भूमि के मामले में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर, उपनियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है।

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1	2	3
1	छात्रावास या राजकीय, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, स्वीमिंग पूल, क्रीडा केन्द्र तथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर जिनका प्रयोग मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु होता हो, जिसमें वैवाहिक समारोहों से सम्बन्धित सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, संगीत एवं नृत्यकेन्द्र, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), एकल स्क्रीन सिनेमाघर (जो माल्स में स्थित नहीं है), 120 वर्गफीट/11.14-वर्गमीटर क्षेत्रफल तक की चाय, दूध डबलरोटी, अण्डे, धोबी/लांड़ी, फल, सब्जी, फोटो स्टेट,	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान

1	2	3
	नाई/हेयर ड्रेसर (जिसमें दो से अधिक बाल काटने की कुर्सीया न हो और जिसमें वातानुकूलन/कूलर का उपयोग न होता हो) तथा दर्जी की दुकान	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान
2	सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय भवन, सार्वजनिक उपक्रम, राजकीय निगम और बोर्ड आदि, क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, पैथोलाजी लैब, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र, फिजियोथिरैपी केन्द्र, प्रसूति गृह, प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज एवं डेन्टल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, प्रबन्ध संस्थान, विधि संस्थान एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब, आडीटोरियम (प्रेक्षागृह), सामुदायिक केन्द्र, मध्यम तथा वृहद उद्योग (उद्योग विभाग की परिभाषानुसार), रेस्टोरेन्ट, स्टारहित होटल और एक या एक से अधिक सितारे वाले होटल और अन्य पर्यटन इकाइयां, बैंक, बैंक ए0टी0एम0, फाइनेंस कम्पनियां, निजी क्षेत्र के कार्यालय और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान, मेडिकल स्टोर, प्रत्येक प्रकार वाणिज्यिक काम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेन्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और गैर सरकारी कोचिंग सेन्टर।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना
3	टावर और होर्डिंग्स वाले भवन, टी0वी0 टावर, दूरसंचार टावर या अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं। माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का चार गुना
4	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणी में उल्लिखित नहीं हैं।	उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दर का तीन गुना

भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्घरण के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-129 क के उपबन्ध पूर्ववत् लागू होंगे।

4- छूट-

वर्तमान स्थिति- (1) अधिनियम में निहित अनुबन्धों के अनुसार करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य-

(क) भवन/भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 10 वर्ष से अधिक पुराना हो के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो

अधिनियम की धारा-140 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन/भूमि, जो 10 वर्ष से अधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड "ख" के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य का 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो अधिनियम की धारा (1) के खण्ड "ख" के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

संशोधित स्थिति—उत्तर प्रदेश, शासन नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2024 में छूट की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। छूट को समाप्त समझा जायेगा।

5— प्रोत्साहन— अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को प्रोत्साहन, यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में निम्नलिखित रीति से प्रदान किया जा सकता है—

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भू-गर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचालन में हो या कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्रफल वृक्षारोपण और हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित और पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या यदि व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो किन्तु प्रभावकारी प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गए हो तो उसके वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 02 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह कि उपर्युक्त प्रोत्साहन इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करने के पश्चात वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान किये जायेंगे।

(ख)— खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवन के वार्षिक मूल्य में प्रत्येक हेतु 02 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी, यदि उक्त भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय उपबंधित न किये गये हो।

6— अधिशासी अधिकारी, नियम 4, 7 और 8 के अधीन भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर निर्धारित कर भुगतान हेतु स्वामी या अध्यासी को, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे बिल भेजेगा जिसमें एक ऐसा दिनांक उपदर्शित किया जायेगा, जब तक यह अधिसूचित बैंकों या नगर पालिका के कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि विहित दिनांक तक कर की सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उस धनराशि पर, जो अंसदत्त (बकाया) रह गई हो, बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, कर भुगतान के लिये निर्धारित दिनांक से भुगतान के दिनांक तक संदेय होगा।

7— अन्य सभी नियम व शर्तें पूर्ववत् यथावत रहेगी।

8— यह उपविधि 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

नोट— उपरोक्त तालिका में जो मौहल्ले/कालोनी अंकित नहीं है अथवा नये विकसित हो जाये। उनके आवासीय भवनों या भू-खण्डों पर वही दरें प्रभावी मानी जायेगी जो उनके निकटतम मोहल्ले/कालोनी में प्रभावी होगी।

मनोज कुमार रस्तोगी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बड़ौत, बागपत।

कार्यालय, नगर पंचायत परतावल, महाराजगंज**उपविधिसूचना**

03 जुलाई, 2025 ई०

सं० 424/न०प०परतावल/बायालाज/2024-25-उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-129(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत परतावल द्वारा लाइसेन्सिंग शुल्क नियमावली 2025 उपविधि, नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज द्वारा नगर पंचायत सीमान्तर्गत लाइसेन्सिंग शुल्क कर उपविधि नियमावली 2025 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा-128 (1) के उपखण्ड-13 (ख) के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति/समुह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत कार्यालय में प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है। तदक्रम में नगर पंचायत परतावल द्वारा बोर्ड दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 प्रस्ताव संख्या-04 द्वारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तदक्रम में दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला दिनांक 10 जनवरी, 2025 को प्रकाशित करा कर 30 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 30 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति/सुझाव नहीं प्राप्त हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 01 मार्च 2025 को प्रस्ताव संख्या-02 को उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृती प्रदान की गई है। तथा अन्तिम प्रकाशन की तिथि 06 फरवरी, 2025 को दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला में कराया गया, निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

1- परिभाषा-

(अ)- किसी वाद के प्रसंग में प्रतिकूल होने पर-

(ब)- उपनियम नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज के विभिन्न व्यवसायों के लाइसेन्स शुल्क व अन्य शुल्क के उपनियम कहलायेंगे।

(स)- अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज के अध्यक्ष से है।

(द)- अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज से है।

(य)- ऐसे शब्दों व पदों को जो इस नियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अन्य उपनियमों में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे जो उक्त नियम एवं उपनियमों में उनके लिये दिये गये हैं।

उपनियम

2- यह उपनियम लाइसेन्स शुल्क एवं अन्य शुल्क नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज कहलायेंगे तथा सीमा के अन्तर्गत प्रवृत्त होंगे।

3- कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज की सीमा में इस उपनियम की अनुसूची (क) में दिये गये व्यवसायों को नहीं कर सकेगा। जब तक कि नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज से अनुसूची (क) में उल्लिखित व्यवसाय का वार्षिक शुल्क नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज में जमा करके लाइसेन्स प्राप्त न कर लें।

4- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत परतावल, जनपद-महाराजगंज लाइसेन्स अधिकारी होंगे।

5- प्रत्येक व्यवसाय के लाइसेन्स की अवधि प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

6— प्रत्येक व्यवसायी/व्यापारी आदि लाइसेन्स प्राप्ति हेतु प्रत्येक 31 मार्च तक आगामी हेतु प्रार्थना-पत्र 1.30 पैसा के स्टाम्प टिकट के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ व्यवसाय स्थल का साइट प्लान, ब्लू प्रिन्टिंग/अमोनियम प्रिन्टिंग को संलग्न करेगा।

निर्धारित अवधि के पश्चात् यदि आवेदन-पत्र देता है तो उसकी रु0 25.00 प्रति माह विलम्ब शुल्क भी देना होगा। नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र फरवरी माह के अन्त तक प्रस्तुत करना होगा और नवीनतम लाइसेन्स की छायाप्रति भी संलग्न करेगा। माह मार्च में अपना लाइसेन्स प्राप्त कर लेगा।

7— प्रत्येक व्यवसायी लाइसेन्स प्राप्ति हेतु नीचे लिखे प्रारूप पर अपना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। और नवीनतम लाइसेन्स की छायाप्रति भी संलग्न करेगा। माह मार्च में अपना लाइसेन्स प्राप्त कर लेगा।

प्रार्थना-पत्र वास्ते लाइसेन्स

नगर पंचायत परतावल जनपद-महराजगंज

- (1)– आवेदक का नाम.....
- (2)– पिता/पति का नाम.....
- (3)– स्थायी पता.....
- (4)– अस्थायी पता.....
- (5)– व्यवसाय स्थल का पता.....
चौहद्दी पूरब..... पश्चिम.....
उत्तर..... दक्षिण.....
- (6)– व्यवसाय का पूर्ण विवरण.....
- (7)– वर्ष.....
- (8)– पिछली लाइसेन्स सख्या.....
- (9)– अन्य विभाग से प्राप्त लाइसेन्स का विवरण (यदि कोई हो).....

प्रार्थी

यदि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में समय -समय पर आवश्यकतानुसार जानकारी चाही जायेंगी जो उसका उल्लेख भी प्रार्थना-पत्र में करना अनिवार्य होगा, जिसके कारण प्रारूप में परिवर्तन भी किया जा सकेगा।

8— प्रत्येक व्यवसायी/व्यापारी आदि को माह अप्रैल के अन्त तक लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9— यदि कोई व्यवसायी/व्यापारी आदि निर्धारित अवधि के अन्दर लाइसेन्स प्राप्त नहीं करता है तो उपरोक्त दशा में लाइसेन्स अधिकारी रु0 20.00 प्रतिदिन या निर्धारित शुल्क से दो गुना दण्ड जुर्माना के रूप में वसूल करके लाइसेन्स निर्गत के आदेश पारित कर देगा।

10— प्रत्येक लाइसेन्स धारक को इस उपनियम का अनुपालन करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यवसायी/व्यापारी आदि लाइसेन्स प्राप्त करने के पश्चात् इन उपनियमों को भी नियम का उल्लंघन करना पाया जाता है तो लाइसेन्स अधिकारी/अधिकासी अधिकारी को लाइसेन्स निलिम्बित करने व दण्ड व जुर्माना करने का अधिकार होगा तो रु0 100.00 से रु0 500.00 तक हो सकता है।

11- यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेन्स प्राप्त करे कोई व्यवसाय करता है और निरीक्षण में पकड़ा जाता है तो निरीक्षणकर्ता समस्त सामान की प्राप्ति देकर सामान सुपुर्दगी में ले लेगा और नगर पंचायत परतावल, जनपद-महराजगंज में जमा कर देगा। यदि यह व्यक्ति एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित किया गया जुर्माना अदा नहीं करता है तो बिना पूर्व सूचना नीलाम कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त धनराशि नगर पंचायत परतावल, जनपद-महराजगंज कोष में जमा कर दी जायेगी। वह व्यक्ति उस धनराशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

12- कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय में नाबालिक को नौकर नहीं रखेगा।

13- खाद्य पदार्थ व्यवसायी/व्यापारी आदि खाद्य पदार्थ इस प्रकार के साफ और स्वच्छ बर्तन में रखेगा कि इनमें धूलकण आदि हानिकारक पदार्थ एवं कीटाणुओं का प्रभाव न पड़ सके।

14- किसी व्यवसायी/प्रतिष्ठान आदि का निरीक्षण करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष में तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को ही लाइसेन्स निर्गत कर का अधिकार निहित होगा।

15- यदि कोई व्यक्ति नगर पंचायत परतावल, जनपद-महराजगंज की सीमा के अन्दर कोई व्यवसाय करेगा तो वह नगर पंचायत परतावल से लाइसेन्स प्राप्त करेगा और समस्त उपनियमों का पालन भी करेगा।

16- यदि कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय समाप्त करना चाहता है तो व्यवसाय समाप्त करने हेतु माह फरवरी के अन्तिम सप्ताह तक अपना प्रार्थना-पत्र दे सकता है। जिसको जांच उपरान्त समाप्त कर दिया जायेगा, परन्तु यदि निर्धारित अवधि गुजरने के पश्चात् प्रार्थना-पत्र देगा तो उसकी लाइसेन्स शुल्क की धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेन्स समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

17- यदि कोई व्यवसायी का लाइसेन्स निलम्बित/निरस्त कर दिया जाता है तो यह निलम्बन/निरस्त व तिथि से 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को अपना आपत्ति सहित अपील कर सकता है अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा जो उसे मान्य होगा तथा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

18- यदि कोई व्यवसायी अलग-अलग वस्तुओं का अपने प्रतिष्ठान पर व्यवसाय करता है तो वह सबसे अधिक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क वस्तु का लाइसेन्स प्राप्त करेगा परन्तु यह प्रतिबन्ध केवल दो ही मदों की वस्तुओं पर लागू होगा। यदि इससे अधिक वस्तुओं की व्यवसाय में लाता है तो प्रत्येक का अलग-अलग लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।

19- समस्त व्यवसायी/प्रतिष्ठान/व्यापारी समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा जारी पर्यावरण सम्बन्धी नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा।

20- समस्त व्यापारी/व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे।

समझौता

यदि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध व्यवसाय आदि करता है तथा कानून उल्लंघन करता है, तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी करता है तो उस पर दोषी व्यक्ति सुलहनामा समझौता हेतु दोष स्वीकार करते हुए प्रार्थना-पत्र दे सकता है जिस पर अधिशासी अधिकारी नियम 10 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये रु0 100.00 से रु0 500.00 तक धनराशि वसूल करेगा जो समझौता शुल्क होगा।

अनुसूची (क)

क्रम सं०	मद का नाम	शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 संख्या 161 सी०एम० 9-नी-9723-01-97 द्वारा निर्धारित दरें
1	2	3
		रुपये—
1-	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस तथा बारात घर	1,000.00
2-	पाँच सितारा होटल	12,000.00
3-	तीन सितारा होटल	9,000.00
4-	नर्सिंग होम (20 बेड)	2,000.00
5-	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
6-	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00
7-	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
8-	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
9-	पैथालोजी सेन्टर	1,000.00
10-	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00
11-	डेंटल क्लीनिक	4,000.00
12-	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00
13-	आटो रिक्शा 2 सीटर	360.00
14-	आटो रिक्शा 7 सीटर	720.00
15-	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00
16-	मिनी बस	1,500.00
17-	बस	2,500.00
18-	तांगा	50.00
19-	रिक्शा (किराये पर)	150.00
20-	रिक्शा (निजी चालित)	75.00
21-	ठेला/ठेली	100.00
22-	हाथ ठेला	25.00
23-	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	25.00
24-	ट्राली	150.00
25-	फाइनेन्स कम्पनी/चिट्स फण्ड	6,000.00

1	2	3
		रुपये—
26-	इंश्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00
27-	पशु बधशाला (स्लाटर हाउस)	25.00 प्रति पशु
28-	हड्डी खाल गोदाम	1,000.00
29-	बार/बीयर	6,000.00
30-	आइस फैक्ट्री	100.00
31-	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
32-	देशी शराब (प्रति दुकान)	6,000.00
33-	विदेशी शराब (प्रति दुकान)	12,000.00
34-	भैंस मांस की दुकान	300.00
35-	बकरा मांस की दुकान	600.00
36-	पशुपालन प्रति पशु	10.00
37-	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00
38-	प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)	25.00
39-	प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर (बकरी आदि)	10.00

प्रियंका,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत परतावल,
जनपद-महराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शालिनी गुप्ता पुत्री संतोष गुप्ता है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7727 2981 9981 में मेरा नाम कु0 शालिनी गुप्ता हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शालिनी गुप्ता पुत्री संतोष गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शालिनी गुप्ता,
पुत्री संतोष गुप्ता,
ग्राम नन्दाव, पोस्ट नन्दाव,
थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनुभा सक्सेना पुत्री सुनील सक्सेना है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। विवाहोपरांत मैंने अपना नाम अनुभा सक्सेना से बदलकर अनुभा दीक्षित रख लिया है जो मेरे आधार कार्ड सं0-7393 6880 2652 में अंकित है उपरोक्त दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे अनुभा दीक्षित पुत्री सुनील सक्सेना पत्नी नीरज कुमार दीक्षित के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुभा दीक्षित,
पता— ग्राम सनेरा, मल्लछपरा,
पोस्ट परसौनी रामकोला कुशीनगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनामिका द्विवेदी (ANAMIKA DWIVEDI) पुत्री हरिनंदन प्रसाद (HARINANDAN PRASAD) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-2947 9098 5518 में पुत्री का नाम श्रुष्टी द्विवेदी (SHRASHTI DWIVEDI) जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनामिका द्विवेदी (ANAMIKA DWIVEDI) पुत्री हरिनंदन प्रसाद (HARINANDAN PRASAD) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हरिनंदन प्रसाद पुत्र नन्द किशोर,
निवासी—ब्रम्ह नगर, शुक्लागंज,
थाना कोतवाली गंगाघाट,
जिला उन्नाव उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रामस्वरूप यादव पुत्र स्व0 दीनदयाल है। जो मेरे खतौनी, राशन कार्ड निर्वाचन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, तथा उपजिलाधिकारी द्वारा की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—2554 5276 2286 में मेरा नाम शिवस्वरूप अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रामस्वरूप यादव पुत्र स्व0 दीनदयाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रामस्वरूप यादव, पुत्र दीनदयाल,
निवासी— ग्राम बसहर थाना सरघुवा,
तहसील राजापुर, जिला चित्रकूट।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम PRADYUMAN YADAV पुत्र सुरेन्द्र प्रताप यादव है। जो मेरे आधार कार्ड एवं इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक—5093055/2017 में मेरा नाम PRADYUMAN SURENDRA PRATAP YADAV अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम PRADYUMAN YADAV (प्रद्युमन यादव)

पुत्र सुरेन्द्र प्रताप यादव के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रद्युमन यादव,
पुत्र सुरेन्द्र प्रताप यादव,
पता—दुनिया बरईपाल, जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उमर अहमद UMAR AHMAD पुत्र रईस अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—2342 1502 7508 में उसका नाम अब्दुल उमर ABDUL UMAR अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उमर अहमद UMAR AHMAD पुत्र रईस अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रईस अहमद,
निवासी— ग्राम चकचुरावन हेतापुर,
तहसील—फूलपुर थाना—झूंसी,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जैसवार रोहित चबिनाथ है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—6856 0846 7986 में मेरा नाम जैसवार रोहित अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जैसवार रोहित चबिनाथ पुत्र चबिनाथ जैसवार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जैसवार रोहित चबिनाथ,
पुत्र श्री चबिनाथ जैसवार,
नि0—ग्राम बनकट लालीपुर, काररोबनकट,
थाना बरसठी, जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम वैभव शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4186 7245 2720 में उसका नाम सोम्य शर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम वैभव शर्मा पुत्र रामेश्वर शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रामेश्वर शर्मा,
पता— टिकरी बसवरिया,
कमलानगर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम गरिमा सोनकर पुत्री राम सिंह सोनकर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश आधार कार्ड सं0-4296 3696 3094 में उसका नाम प्राची सोनकर अंकित हो गया जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में उसे सही नाम गरिमा सोनकर पुत्री राम सिंह सोनकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राम सिंह सोनकर,
नि0-मोहल्ला जोतपुर, पुरवा पोस्ट पुरवा,
तहसील पुरवा जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कमला देवी पत्नी स्व0 पतिराज यादव है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड मेरे पति के सेवा से सम्बन्धित अभिलेख तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4608 3445 1624 में मेरा नाम कमलावती अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे सही नाम कमला देवी पत्नी स्व0 पतिराज यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कमला देवी,
पत्नी स्व0 पतिराज यादव,
ग्राम प्रेमपुर फतेहगंज, जौनपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम निरोशा सिंह पुत्री अभय कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-8712 4437 3257 में उसका नाम परी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम निरोशा सिंह पुत्री अभय कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अभय कुमार यादव,
पता— सा0 19/46-ग-2-1-ए,
दनियालपुर, अशोक नगर,
कालोनी, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम यामिनी सिंह पुत्री अजीत कुमार सिंह हैं जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8174 0292 5891 में उसका नाम जानवी सिंह हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम यामिनी सिंह पुत्री अजीत कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अजीत कुमार सिंह,
पुत्र जितेन्द्र बहादुर सिंह,
निवासी—ग्राम शहाबुद्दीनपुर, कादीपुर,
सुल्तानपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिवम पुत्र किशन कुमार है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4986 5099 7142 में मेरा नाम आयुष बाल्मीकि अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से शिवम पुत्र किशन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

शिवम पुत्र किशन कुमार,
निवासी-ग्राम व पोस्ट पहाड़पुर,
थाना सांगीपुर, तहसील लालगंज,
जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रिशु गुप्ता पुत्री अश्वनी कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम प्रिशु गुप्ता से बदलकर स्वेच्छा गुप्ता रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को स्वेच्छा गुप्ता पुत्री अश्वनी कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अश्वनी कुमार पुत्र रमेश चन्द्र,
नि0-49, मुट्ठीगंज प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जैसमती पत्नी राम दयाल है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी व श्रीमान उपजिलाधिकारी सदर जनपद सुलतानपुर द्वारा जॉच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7771 7981 8916 में मेरा नाम दुलारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे

सही नाम जैसमती पत्नी राम दयाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जैसमती पत्नी राम दयाल,
निवासी-ग्राम सोमनाभार थाना धम्मौर,
पर0 मीरानपुर तहसील सदर ब्लाक दूबेपुर,
जिला सुलतानपुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुँवर विभव सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। जो सही है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5936 9735 6648 में मेरा नाम आशू सिंह अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुँवर विभव सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कुँवर विभव सिंह पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
निवासी-सिधौरा पोस्ट मुगरसन,
थाना उतराँव तहसील हण्डिया,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम साहिल पुत्र संत राम है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2842 4501 5784 में उसका नाम राम भरोसे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम साहिल पुत्र संत राम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संत राम पुत्र महेश्वरी,
निवासी किड़ारी, पोस्ट-टीकामऊ,
महोबा (उ0प्र0)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हर्षित सिंह पुत्र मलखान सिंह है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-8431 4675 1508 में उसका नाम हर्ष सिंह अंकित हो गया है, जो गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हर्षित सिंह पुत्र मलखान सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मलखान सिंह पुत्र फूल सिंह,
निवासी-ग्राम सूर्यपुर, हिम्माथार, मजरा,
अनन्तापुर, पोस्ट जलालपुर,
परगना व तहसील भोगनीपुर,
जनपद कानपुर देहात, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कन्नौजिया अंजली लल्लू (KANNAUJIYA ANJALI LALLOO) पुत्री लल्लू कन्नौजिया (LALLOO KANNAUJIYA) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-4042 6836 8846 में मेरा नाम अंजली कन्नौजिया अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कन्नौजिया अंजली लल्लू (KANNAUJIYA ANJALI LALLOO) पुत्री लल्लू कन्नौजिया (LALLOO KANNAUJIYA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

KANNAUJIYA ANJALI LALLOO,
VILL-TINAKEDAVA,
DHADHORPUR, RAJATALAB,
VARANASI, UP.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मानस्वी मिश्रा (MANASHVI

MISHRA) पुत्री दीपक कुमार मिश्र है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7874 4920 7227 में उसका नाम माही मिश्रा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मानस्वी मिश्रा (MANASHVI MISHRA) पुत्री दीपक कुमार मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

दीपक कुमार मिश्र,
पता-ग्राम व पोस्ट-कसिली,
जनपद-देवरिया (उ0प्र0)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सौरभ यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9448 2176 0570 में उसका नाम यश यादव अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सौरभ यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आशा देवी, पत्नी ओम प्रकाश यादव,
पता-बरियारीपुर पोस्ट-असरोपुर,
जौनपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रयाग कुमार पुत्र हरिशंकर है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0- 9838 9748 9435 में उसका नाम प्रयागराज अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रयाग कुमार पुत्र हरिशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हरिशंकर पुत्र मायाराम,
पता— ग्राम पुरैना पोस्ट कोटिया गरोड़ी,
बांसी, जिला सिद्धार्थनगर, बांसी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जात है कि मेरा सही नाम संजय कुमार पुत्र राजकुमार है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार नकल में तथा उप जिलाधिकारी जॉच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—2795 8538 1086 में मेरा नाम जशकरन अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम संजय कुमार पुत्र राजकुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार पुत्र राजकुमार,
निवासी— ग्राम अतर्छा खुर्द, पोस्ट बिलग्राम,
परगना सदर, तहसील बिलग्राम,
जनपद हरदोई उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रवी पुत्री अशोक कुमार है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—5313 0515 0601 में उसका नाम श्रद्धा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रवी पुत्री अशोक कुमार के नाम से जाना और पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अशोक कुमार, पुत्र रामहरी,
शरीफपुर शीकी खुर्द हंडिया,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य यादव पुत्र लाल साहब यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—8551 9124 0567 में उनका नाम अंसू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य यादव पुत्र लाल साहब यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लाल साहब यादव, पुत्र राममूरती,
ग्राम नेवादा मुखलिसपुर, तहसील बदलापुर,
जनपद, जौनपुर उ0प्र0

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नित्या सिंह पुत्री चन्द्रशेखर सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम नित्या सिंह से बदल कर आकृति सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को आकृति सिंह पुत्री चन्द्रशेखर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

साधना सिंह, पत्नी चन्द्रशेखर सिंह,
निवासिनी—भट्टी, लोहता,
नई बस्ती, महेशपुर, वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवकुमार सिंह पता— 498, लाट नं0 2, हनुमानपुर, मुगलसराय, चन्दौली में साझेदार (1) विनोद कुमार (2) सुबोध कुमार सिंह (3) प्रमोद कुमार सिंह (4) वशिष्ठ मोहन सिंह (5) कृष्णा सिंह है। फर्म में दिनांक 31 मार्च, 2022 को मुकुन्द कुमार नये साझेदार के रूप में

सम्मिलित हुए हैं। फर्म में दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को प्रमोद कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके स्थान पर सत्यम सिंह दिनांक 23 जनवरी, 2025 को साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं अब फर्म में क्रमशः (1) विनोद कुमार (2) सुबोध कुमार सिंह (3) वशिष्ठ मोहन सिंह (4) कृष्णा सिंह (5) मुकुन्द कुमार (6) सत्यम सिंह हैं। फर्म का कार्य यथावत रहेगा।

विनोद कुमार,
पार्टनर
फर्म मेसर्स शिव कुमार सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम गर्वित मोहित ओझा पुत्र मोहित कुमार ओझा है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3764 1344 8773 में उसका नाम महीप ओझा अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम गर्वित मोहित ओझा पुत्र मोहित कुमार ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मोहित कुमार ओझा,
पुत्र चिंतामणि ओझा,
पता-पकड़ी मुगरा बादशाहपुर,
जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम तनिष्क सक्सेना पुत्र पवन कुमार सक्सेना है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5584 1646 7756 में मेरा नाम कृष्णा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम तनिष्क सक्सेना पुत्र पवन कुमार सक्सेना के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

तनिष्क सक्सेना,
निवासी-68, बराही टोला,
जनपद इटावा उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मानवेन्द्र प्रताप यादव पुत्र पवन कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5304 4108 8559 में उसका नाम राज कमल यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मानवेन्द्र प्रताप यादव पुत्र पवन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पवन कुमार पुत्र राम सुमेर,
निवासी-पूरे मेहरबान, बहाई,
लालगंज, रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विद्यावती देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद सिंह है जो कि मेरे पति के सेवा सम्बन्धित अभिलेख, परिवार रजिस्टर व उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9428 0349 5598 में मेरा नाम विद्या देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विद्यावती देवी पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद सिंह के नाम से जाना व पहचान जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विद्यावती देवी,
पत्नी स्व0 शीतला प्रसाद सिंह,
निवासिनी-ग्राम व पोस्ट-द्वारिकापुर,
थाना व तहसील-औराई,
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कालिका प्रसाद (Kalika Prasad) पुत्र स्व0 भुलईराम है जो कि मेरे सर्विस, शैक्षिक, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड में अंकित है मेरा आधार नं0-5892 9417 3360 है जिसमें मेरा नाम कालिका प्रसाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कालिका प्रसाद (Kalika Prasad) पुत्र स्व0 भुलईराम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कालिका प्रसाद पुत्र स्व0 भुलईराम,
निवासी-रुवरूप चंदखेड, निकट (पराग),
औरंगाबाद, खालसा, एल0डी0ए0,
कानपुर रोड, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नव्या भाटिया पुत्री मनीष भाटिया है जो उसके विद्यालय प्रमाण पत्र व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5130 4034 9897 में उसका नाम अक्षरा भाटिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नव्या भाटिया पुत्री मनीष भाटिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मनीष भाटिया पुत्र श्री मोहन लाल भाटिया,
नि0 5/15 कृष्णा नगर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरात्रिका जायसवाल पुत्री हिमांशु जायसवाल है, जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9312 3727 9935 में उसका नाम दीया जायसवाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके

सही नाम आरात्रिका जायसवाल पुत्री हिमांशु जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हिमांशु जायसवाल,
पुत्र श्री शिव कुमार जायसवाल,
ग्राम व पो0 सआदतगंज,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

सूचना

मेरी पुत्री का आधार सं0-2058 1510 9308 में घरेलू नाम नीलांजना मिश्रा (NEELANJANA MISHRA) दर्ज हो गया है जब कि उसका वास्तविक नाम नित्या (NITYA) पुत्री रिषभ मिश्रा 2/442 ए सुनराही गली नवाबगंज, थाना नवाबगंज कानपुर नगर उ0प्र0-208002 है जो उसका नाम जन्म प्रमाण पत्र में नित्या (NITYA) ही अंकित है। भविष्य में मेरी पुत्री को नित्या (NITYA) के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रिषभ मिश्रा पुत्र अमरनाथ मिश्रा,
2/442 ए सुनराही गली नवाबगंज,
थाना नवाबगंज, कानपुर नगर उ0प्र0।

सूचना

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स एस० एम० कॉन्स्ट्रक्शन्स पता निकट बुढवा ताल सुभाष नगर जिला हरदोई से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री उमेश बाबू मिश्रा एवं श्री राज विश्व मिश्रा साझेदार थे। दिनांक 31.07.2025 को नई साझेदारी बनी, जिसमें फर्म का पता परिवर्तन होकर नया पता 371 सुभाष नगर जिला हरदोई हो गया हैं। वर्तमान में उक्त फर्म में कुल 02 साझेदार-श्री उमेश बाबू मिश्रा एवं श्री राज विश्व मिश्रा साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं। जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उमेश बाबू मिश्रा,
साझेदार,
मेसर्स-एस0एम0 कॉन्स्ट्रक्शन्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवनेश पुत्र राम ब्रेश है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6515 7046 5425 में मेरा नाम योगेश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पवनेश पुत्र राम ब्रेश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पवनेश पुत्र राम ब्रेश,
निवासी-खंगारपुर, पोस्ट-सरनाऊ,
सरनाऊ, एटा, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु0 शालिनी पुत्री दीनानाथ है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-5446 6016 8500 में मेरा नाम कु0 शालिनी साहनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु0 शालिनी पुत्री दीनानाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कु0 शालिनी,
पता- ग्राम सोनवरसा,
पोस्ट-लखनापार, थाना-सहजनवा,
जनपद-गोरखपुर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम नैतिक सिंह पुत्र अनुपम सिंह है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-7845 7178 2027 में उसका नाम हनु सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अनुपम सिंह पुत्र जबर सिंह,
पता-कादिलपुर प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम याशिका उमराव पुत्री भूपेन्द्र उमराव है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9783 9726 1374 में उसका नाम क्रतिका उमराव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम याशिका उमराव पुत्री भूपेन्द्र उमराव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ममता वर्मा,
पत्नी भूपेन्द्र उमराव,
पता-बी0-26 एम0आई0जी0,
विश्व बैंक बरी, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम पायल कुमारी पुत्री इन्द्रपाल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड 4620 4366 6113 में उसका नाम प्राची अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम पायल कुमारी पुत्री इन्द्रपाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जात है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

इन्द्रपाल,
पता-57/65 शिवकुटी,
तेलियरगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जे एम जे स्पनिंग मिल्स 7 किलोमीटर ग्रीन लैंड कंपाउंड के पीछे देहरादून रोड सहारनपुर का रजिस्ट्रेशन कार्यालय निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर से दिनांक 15/02/2006 को हुआ था। फर्म की अमेंडमेंट पार्टनरशिप डीड दिनांक 15/05/2025 के अनुसार फर्म से मनोज कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय जनेश्वर दास जैन निवास स्थान — ओल्ड डी एस ओ कम्पाउंड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर, मयंक जैन पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, निवास स्थान ओल्ड डी. एस.ओ. कम्पाउंड, निकट आयकर कार्यालय, सहारनपुर, श्रीमती मनीषा जैन पत्नी श्री राजीव कुमार जैन निवास स्थान मकान संख्या 190, अर्बन एस्टेट, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, सेक्टर 7, कुरुक्षेत्र, हरियाणा रिटायर हो गए हैं। व श्री जनेश्वर दास जैन का स्वर्गवास दिनांक 12/03/2017 को हो गया।

पार्टनरशिप डीड दिनांक 15/05/2025 के अनुसार फर्म में श्रीमती सलोनी जैन पत्नी श्री प्रतीक जैन निवास स्थान ओल्ड डी एस ओ कम्पाउंड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर अपनी हिस्सेदारी की धनराशि देकर फर्म में 50% की भागीदारी के साथ सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार अब वर्तमान में फर्म में श्रीमती सलोनी जैन पत्नी श्री प्रतीक जैन निवास स्थान ओल्ड डी एस ओ कम्पाउंड निकट आयकर कार्यालय सहारनपुर एवम् श्रीमती पूनम जैन पत्नी श्री विनय कुमार जैन निवासी ओल्ड डी एस ओ कम्पाउंड निकट इन्कम टैक्स ऑफिस, कोर्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर पार्टनर रह गए हैं।

पूनम जैन,
पत्नी श्री विनय कुमार जैन,
पार्टनर
मेसर्स जे एम जे स्पनिंग मिल्स।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य वर्मा पुत्र अनिल कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या-3950 9216 3414 में उसका नाम अंश वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदित्य वर्मा पुत्र अनिल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनिल कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद,
पता-555ख/27 मायापुरम पुरैया खेरा,
बुद्धेश्वर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जितेन्द्र बाबू वयस्क पुत्र गेंदेलाल है जो मेरे बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिसी सं0-233231538 में मेरा नाम अनूप कुमार अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जितेन्द्र बाबू वयस्क पुत्र गेंदेलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

जितेन्द्र बाबू वयस्क पुत्र गेंदेलाल,
निवासी प्रेमपुर अमरौधा,
कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पिकी पत्नी सतेन्द्र कुमार तिवारी है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-235422260 में मेरा नाम कविता तिवारी अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पिकी पत्नी सतेन्द्र कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पिकी पत्नी सतेन्द्र कुमार तिवारी,
निवासिनी-627/14 मसवानपुर शिवनगर,
थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जय करन पुत्र छोटेलाल है जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक व पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-234977700 में मेरा नाम राम करन अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जय करन पुत्र छोटेलाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

जय करन पुत्र छोटेलाल,
निवासी-ग्राम बलभद्रापुर,
भुगनियापुर, कानपुर देहात।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम परमू पुत्र मोहन लाल है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक पासबुक में अंकित है। त्रुटिवश मेरे एल0आई0सी0 पॉलिसी सं0-233544051 में मेरा नाम आदित्य कुमार अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम परमू पुत्र मोहन लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

परमू पुत्र मोहन लाल,
निवासी-91 बरीमहतैन,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सौम्या पाल पुत्री कैलाश नाथ पाल जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8471 9999 2138 में उसका नाम माही पाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सौम्या पाल पुत्री कैलाश नाथ पाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

कैलाश नाथ पाल, पुत्र रूप चंद्र पाल,
13 ओल्ड सोहबतियाबाग रौजा मजार के पास,
इलाहाबाद उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विहान सिंह कुशवाहा पुत्र बजरंगी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9129 3709 5851 में उसका नाम वैभव कुशवाहा हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विहान सिंह कुशवाहा पुत्र बजरंगी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बजरंगी,
पता-ऐबकपुर, चुनार, अदलपुरा,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मानस पुत्र इदरीश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5683 4096 7276 में उसका नाम समर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मानस पुत्र इदरीश के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

इदरीश पुत्र गनी,
निवासी-पलारा, उदयपुर, पलारा,
उदैपुर, कानपुर नगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं डॉ आदर्श कुमार कटियार पुत्र स्वरूप नारायण ग्राम गंगापुर अरौल बिल्हौर, कानपुर नगर निवासी घोषित करता हूँ कि मेसर्स शिवकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स, जे/काम/2, केशवपुरम् कल्याणपुर, कानपुर पंजीकरण कानपुर/0016995 से फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स, कानपुर में चार साझेदार श्री फूल सिंह, श्री सुनील कटियार, श्री शशांक कटियार और डॉ आदर्श कुमार कटियार थे। साझीदारी में दिनांक 17 जुलाई, 2025 से तीन साझेदार श्री सुनील कटियार पुत्र कृष्ण नारायण एच. आई.जी./5/296 आ०वि० कल्याणपुर कानपुर, श्री शशांक कटियार पुत्र अनिल कटियार 294/3, ई/111 आवास विकास कल्याणपुर कानपुर, श्री फूल सिंह पुत्र बाबू राम 343/12 शास्त्री नगर, कानपुर को सेवानिवृत्त करके उनकी जगह पर श्री शिवम् कुमार द्विवेदी पुत्र कौशल किशोर द्विवेदी नि० 226/ई/111, गंगागंज पनकी कानपुर व श्री देवेश पुत्र श्री श्यामकेश शुक्ला जनता बिंदकी, फतेहपुर के रूप में नये साझीदार सम्मिलित किया जा रहा है तथा मेसर्स शिवकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स, जे/काम/2, केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर को बदलकर 226/ई/3, गंगागंज पनकी कानपुर दिनांक 17 जुलाई, 2025 को किया गया है।

डॉ० आदर्श कुमार कटियार,
साझीदार,
मेसर्स शिवकृपा इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स,
226/ई/3, गंगागंज पनकी कानपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स— राम गोपाल अग्रवाल 117-पी/188, काकादेव, कानपुर नगर 208025 के भागीदार रामगोपाल अग्रवाल पुत्र स्व० मोतीलाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 23 फरवरी, 2023 को हो चुकी है। श्रीमती पूजा अग्रवाल पुत्री श्री राज अग्रवाल नि० 117-पी/188, काकादेव, कानपुर नगर 208025 स्वेच्छा से दिनांक 11 दिसम्बर, 2023 को फर्म में शामिल हो गयी हैं। वर्तमान में फर्म के भागीदार मनोज अग्रवाल पुत्र श्री राम गोपाल अग्रवाल निवासी 117-पी/188,

काकादेव, कानपुर नगर 208025 व श्रीमती पूजा अग्रवाल पुत्री श्री राज अग्रवाल नि० 117-पी/188, काकादेव, कानपुर नगर-208025 है।

मनोज अग्रवाल,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स "एस एण्ड एफ कंस्ट्रक्शन", मौहल्ला चौहानान, किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 06 अगस्त, 2025 को मौहम्मद आवेश पुत्र श्री इसरार अहमद निवासी मौहल्ला मिर्दगान, बसी किरतपुर, जिला बिजनौर शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में तीन पार्टनर मौहम्मद शाहनवाज, मौ० फैजान व मौहम्मद आवेश हो गये हैं।

मौहम्मद शाहनवाज,
पार्टनर,

फर्म मेसर्स "एस एण्ड एफ कंस्ट्रक्शन",
मौहल्ला चौहानान, किरतपुर, तहसील नजीबाबाद,
जिला बिजनौर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री नारायण मिनरल्स, 66, सीता होटल के पीछे सिविल लाइन्स, झांसी उ०प्र० 284001 वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है—

1-सिद्धार्थ राय 2-अभय जैन

दिनांक 15 मार्च, 2025 से Rajesh Kumar Asati शामिल हो रहे हैं।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिद्धार्थ राय,
साझेदार,
मेसर्स श्री नारायण मिनरल्स, 66,
सीता होटल के पीछे सिविल लाइन्स,
झांसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आर० एम० इन्टरप्राइजिज पता 03 ब्लाक सी-1ए सैक्टर 4 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है की फर्म की पार्टनरशिप दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 को हुई थी। अनुसार फर्म में दो पार्टनर थे (1) श्रीमती रिजवाना कुरेशी पत्नी श्री नवाब कुरेशी जी (2) श्रीमती मुर्ति देवी पत्नी श्री विश्वनाथ जी थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 16 अप्रैल, 2021 के अनुसार फर्म में क्रमश (1) श्रीमती रिजवाना कुरेशी पत्नी श्री नवाब कुरेशी जी साझीदार (2) श्री देशराज सिंह पुत्र स्व० विश्वनाथ जी साझेदार थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा विच्छेदन डीड दिनांक 08 अगस्त, 2025 को दोनों साझीदारों की आपसी सहमति से फर्म मेसर्स आर० एम० इन्टरप्राइजिज पता 03 ब्लाक सी-1ए सैक्टर 4 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश को दिनांक 08 अगस्त, 2025 को समाप्त कर दिया गया है।

श्रीमती रिजवाना कुरेशी,
साझेदार,
मेसर्स आर० एम० इन्टरप्राइजिज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है मेसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्सन्स, 83ए, अम्बा एन्क्लेव, निकट शुगर मिल, बुलन्दशहर की साझीदारी दिनांक: 01 जुलाई, 2004 के अनुसार श्री मुकेश कुमार, श्री मुकेश पाल सिंह, श्री राकेश राघव, श्रीमती अनिता सिंह, श्रीमती दर्शना राघव एवं श्रीमती कीर्ति सिंह है। फर्म की संशोधित साझीदारीनामा दिनांक: 01 अप्रैल, 2018 के अनुसार फर्म का पंजीकृत पता— 83ए, अम्बा एन्क्लेव, निकट शुगर मिल, बुलन्दशहर से परिवर्तित कर “प्लॉट नं०-ए-142, ओमेक्स एन आर आई सिटी, निकट परी चौक, ग्रेटर नोएडा, जिला— गौतमबुद्धनगर-201308” कर दिया गया है। उपरोक्त पता परिवर्तन सभी साझीदारों की सहमति से किया गया है।

एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मुकेश कुमार,
साझीदार,
मेसर्स शिव शक्ति कन्स्ट्रक्सन्स,
परिवर्तित पता— प्लॉट नं०-ए-142,
ओमेक्स एन०आर०आई० सिटी, निकट परी चौक,
ग्रेटर नोएडा, जिला— गौतमबुद्धनगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स—देहली बल्क कैरियर, पता 133/139, ट्रान्सपोर्ट नगर, कानपुर की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 20 फरवरी, 2018 को पंजीकरण सं० K-12500 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 25 जून, 2025 के अनुसार पूर्व साझीदार स० हरमीत सिंह मारवाह का स्वर्गवास दिनांक 12 जून, 2025 को हो गया है। अतः फर्म में अब श्री अरुण कुमार वाधवा, स० समनदीप सिंह व श्री हरीश कुमार वाधवा साझीदार हैं।

अरुण कुमार वाधवा,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स Rakesh Service Station, Kalpi Road, Orai, Distt. Jalaun- (U.P.) वर्तमान में पंजीकृत फर्म जिसके साझेदारों का विवरण निम्न प्रकार है—

1—Rajendra Prasad Kaushal 2—Rajesh Kaushal
दिनांक 24 फरवरी, 2024 को Rajendra Prasad Kaushal का निधन हो गया है अतः फर्म का विघटन दिनांक 24 फरवरी, 2024 से हो गया।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

Rajesh Kaushal,
साझेदार,
मेसर्स Rakesh Service Station,
Kalpi Road, Orai, Distt. Jalaun- (U.P.).

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स:-
ए०बी० इन्टरप्राइजेज, बी-1/44, सेक्टर-जे, अलीगंज,
जिला-लखनऊ के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ।
फर्म में दो साझेदार श्री अभिषेक कान्डवाल पुत्र स्व०
सतीश कान्डवाल श्री अभिषेक खन्ना पुत्र श्री अशोक
कुमार खन्ना थे, जिसमें दिनांक 01 जुलाई, 2022 से फर्म
की साझेदारी में तीन नये साझेदार क्रमशः श्री अभिनव
कान्डवाल पुत्र स्व० सतीश कान्डवाल श्री अर्जुन कान्डवाल
पुत्र श्री सुरेश कान्डवाल एवं श्री अपूर्व कान्डवाल पुत्र
श्री सुरेश कान्डवाल शामिल हो गये हैं तथा दिनांक
01 मार्च, 2024 को दो साझेदार क्रमशः श्रीमती पूजा खन्ना

पुत्री श्री सुधीर कपूर एवं श्री अशोक खन्ना पुत्र श्री भोला
नाथ खन्ना फर्म में शामिल हो गये हैं तथा इसी दिनांक
01 मार्च, 2024 से फर्म के 4 साझेदार श्री अभिनव
कान्डवाल, श्री अभिषेक कान्डवाल श्री अर्जुन कान्डवाल
एवं श्री अपूर्व कान्डवाल फर्म की साझेदारी से आपसी
सहमति से निकल गये हैं। तथा फर्म का पता परिवर्तित
होकर बी-134, सेक्टर-सी, महानगर, जिला लखनऊ हो
गया है वर्तमान में श्री अभिषेक खन्ना, श्रीमती पूजा खन्ना
एवं अशोक खन्ना फर्म में साझेदार हैं।

अभिषेक खन्ना,

साझेदार,

ए०बी० इन्टरप्राइजेज, जिला लखनऊ।